



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222559  
CG-DL-E-19102020-222559

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]  
No. 301]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

मामला सं. (एसएसआर) 02/2020

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लूओरोइलास्टोमर्स' (एफकेएम) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच ।

**फा. सं. 7/03/2020-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिस आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 2 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 6/25/2017-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन गण (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफकेएम)' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु अथवा पीयूसी अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरुआत की। प्राधिकारी ने संबद्ध देश से फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) के आयातों पर 18 महीने की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 27 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं. 6/25/2017/डीजीएडी के माध्यम से जांच-

परिणाम अधिसूचित किया। संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 28 जनवरी, 2019 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 18 महीने की अवधि के लिए 27 जुलाई, 2020 तक निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 21 जुलाई, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 27 अक्टूबर, 2020 तक तीन महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था।

2. इस अधिनियम की धारा 9क(5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो तो इस प्रकार के लगाए जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

3. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

*".....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"*

4. मै. गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लि. (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन गण (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफकेएम)" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए समय समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

5. आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत् प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, की जांच करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार दिनांक 7 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 7/03/2020-डीजीटीआर (मामला सं. एसएसआर 02/2020) के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की।

6. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 21 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क का समय 27 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दिया।

7. वर्तमान समीक्षा के बारे में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व की जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

#### ख. प्रक्रिया

8. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया:

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 7 फरवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादक और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार दिनांक 7 फरवरी, 2020 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं।
- iv. निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर देने के लिए संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने के अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ संबद्ध देश के दूतावास को भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एसएसआर की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें इस नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार इस पत्र की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराने के लिए उन्हें अवसर दिया:
- क. मैसर्स झेक्सिन फ्लोरोकार्बन्स, चीन जन. गण.
- ख. मैसर्स शानडोंग डोंग्यु केमिकल कं. लि.,
- ग. मैसर्स चांगझोऊ जियांटोंग केमिकल कं. लि., .
- घ. मैसर्स तेझोऊ मीलन रेसिन प्रोसेस कं. लि.
- ङ. मैसर्स शानडोंग डोंग्यु पॉलीमर, चीन जन. गण.
- च. मैसर्स डुपोंट (चांगशु) फ्लूरो टेक्नोलॉजी कं. लि.,
- छ. मैसर्स सिचुआन चेंगुआंग इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री,
- ज. मैसर्स जियांगसु मीलन केमिकल कं. लि.,
- झ. जुहुआ ग्रुप कारपोरेशन
- ञ. मैसर्स शंघाई 3एफ न्यू मैटेरियल्स कं. लि.(मैन्यूफैक्चरर्स)
- ट. मैसर्स फुक्सिन हेंगटोंग फ्लोरीन
- ठ. चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री
- ड. द केमर्स केमिकल कं. लि., चीन
- ढ. डेकन फ्लोरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि.,
- ण. शंघाई फ्लुओरोन टीएम केमिकल्स कं. लि.
- त. चेंगडु डोहोन इंडस्ट्रियल कं. लि.
- थ. सॉल्वे (चीन) कं. लि.
- द. गुआंगझोऊ पोलेन केमिकल टेक्नोलॉजी कं. लि.,.
- ध. शानडोंग हुआक्सिया शेनझोऊ न्यू मैटेरियल कं. लि.
- न. जियांगसु मीलन केमिकल कं. लि.,
- त्त. शंघाई हेचांग फ्लोरोकार्बन कं. लि.,

- प. वुक्सी फुडा फ्लोरोप्लास्टिक्स कं. लि.,  
 फ. बीजिंग रूईचेंग कं. लि.,  
 ब. कम पिन पेंट वर्क्स लि.,  
 भ. हुबेई दचांग चाइना कं. लि.,  
 म. वुक्सी टा टांग कंपाउंड (शामिल नहीं)  
 कक. शंघाई किनेरिंग कं. लि., चीन जन. गण.  
 खख. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकोन पॉलीमर कं. लि.  
 गग. 3एम चाइना लिमिटेड  
 घघ. अरकेमा (चांगशु) फ्लूओराइन केमिकल कं. लि.
- vii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- viii. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया  
 क. चेनगुआंग फ्लूओरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.  
 ख. झोंगहाओ चेनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि.  
 ग. डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि.  
 घ. यूएनआई-एलायंस लिमिटेड, हांगकांग  
 ङ. इनर मंगोलिया 3एफ वानहाओ फ्लूओरोकेमिकल्स कं. लि.
- ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी:
- क. मीन बीन एलास्टमर्स  
 ख. जेएमएफ सिंथेटिक  
 ग. पॉलमन इंडिया लि.  
 घ. बीपी केमिकल्स  
 ङ. निशिंगंधा पॉलीमर्स  
 च. हिंद एलास्टमर्स  
 छ. जयाश्री पॉलीमर्स  
 ज. डालमिया पोलिमर्स एल.एल.पी (डीपीएल)  
 झ. जेनिथ इंडस्ट्रियल रबड़  
 ञ. टेक्रो पोलिमर इंडस्ट्रीज  
 ट. एसकेएफ टेक्रोलोजिस इंडिया प्रा. लि.  
 ठ. निशिंगंधा पोलिमर्स प्राइवेट लि.  
 ड. शोर ऑटो रबर एक्सपोर्ट्स, प्रा. लि.  
 ढ. मेरेक लाइफ साइंस प्रा. लि.  
 ण. ड्रेगर सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- त. 3एम इंडिया लिमिटेड  
 थ. एजिलिएंट टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
 द. देवाशीष पॉलीमर प्रा. लि.  
 ध. हाई-टेक अराय प्राइवेट लिमिटेड  
 न. परफेक्ट ऑयल सील्स इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स  
 त्त. प्रीमियर सील्ड इंडिया प्रा.लि.  
 प. जी बी रबर प्रोडक्ट्स  
 फ. उकल पोलिमर्स इंडस्ट्रीज  
 ब. उकल फ्यूल सिस्टम्स लिमिटेड  
 भ. विकास इलास्टोकेम एजेंसीज प्रा. लि.  
 म. देवाशीष पोलिमर्स प्रा. लि.  
 य. नु-कार्क प्रोडक्ट्स (पी) लि.  
 कक. न्यु-कार्क प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.  
 खख. एस.जे. रबर इंडस्ट्रीज लि.  
 गग. एम.के. मार्केटिंग  
 घघ. जेनिथ इंडस्ट्रियल रबर  
 ङङ. प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. सी-15/16/17  
 चच. डोम्बीवली इंडस्ट्रियल एस्टेट  
 छछ. नवरंग नाका, मिडक, फेस-I  
 जज. रावत इंजी. टेक. प्रा. लि.  
 झझ. कोकोकु इन्टेक इंडिया  
 ञञ. बीडीएस पोलिकेम  
 टट. पायनीर रबर ऐंड केमिकल कं.  
 ठठ. देवाशीष पोलिमर्स  
 डड. के.के. इंटरप्राइजेज  
 ढढ. टेक्नो पोलिमर इंडस्ट्रीज
- x. इस उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों अथवा उपभोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:  
 क. इस्टर्कॉर्प इंटरनेशनल  
 ख. ईस्टर्न स्टील कारपोरेशन  
 ग. निशिंगंधा पॉलिमर्स प्राइवेट लि.
- Xi. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच से संगत सूचना की आपूर्ति नहीं की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।

- xiii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। जब कभी भी उन्होंने सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण का अनुरोध किया और उससे दस्तावेजों की प्रतियां उसके साथ उपलब्ध कराई गई थी।
- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि जनवरी, 2019 से सितंबर, 2019 (9 माह) मानी गई है और क्षति की अवधि में अप्रैल, 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017-मार्च, 2018, अप्रैल 2018-मार्च 2019 और जांच की अवधियां शामिल होगी।
- xv. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया था। घरेलू उद्योग और निर्यातक/उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक इस जांच के उद्देश्य से वह आवश्यक था।
- xvi. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में उत्पादन की लागत और संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत पर क्षति रहित कीमत (इसके पश्चात "एनआईपी" के रूप में संदर्भित) तय की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा।
- xvii. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय(डीजीसीआईएंडएस) द्वारा पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए लेन-देन बार आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए ली गई है।
- xviii. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 9 सितंबर, 2020 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रति उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था।
- xix. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए हैं, इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिए गए हैं।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया है।
- xxi. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच में प्रकटन विवरण जिसमें सभी आवश्यक तथ्य निहित हैं जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात् कथन से संबंधित अनुरोधों पर इस अंतिम जांच परिणाम में उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे संगत पाया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात् अधिकांश अनुरोध पूर्व में उनके द्वारा किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया, प्रकटन पश्चात् अनुरोधों की जांच इस अंतिम जांच परिणाम में की जा रही है।
- xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से मांगी गई सूचना का द्योतक है।
- xiii. संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा ली गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर =71.03 रुपए है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
- ग.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण
9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस अवधि के दौरान नहीं

हुए हैं। इस कारण से याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व की जांचों का संदर्भ देते हैं और उस पर विश्वास करते हैं।

- ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित यह उत्पाद संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद की समान वस्तु है। समान वस्तु के मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी की गई है।

## ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. एफकेएम के ग्रेडों का प्रतिस्थापन तभी संभव है जब प्रतियोगी उत्कृष्ट गुणवत्ता विकसित करता हो।
- ii. आवेदक निम्न गुणवत्ता के उत्पादों का निर्माण करता है और चूंकि यह एक नई कंपनी है अतः इसने एफकेएम के सभी ग्रेडों को विकसित नहीं किया है।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद दिनांक 02 फरवरी, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना में व्यापक रूप से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है।

*"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) है। फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) बहुत अधिक तापमान पर प्रचालन के लिए बनाए गए सिंथेटिक रबड़ की श्रेणी है। उत्कृष्ट समग्र गुणधर्मों वाले फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को "रबड़ किंग" कहा जाता है। इसमें पूर्णतः फ्लोरोनीटेड मॉर्क्युलर संरचना नहीं होती है और इसकी मुख्य एवं बगली चेनों में फ्लोरीनएटम्स की सख्त इलेक्ट्रो निगेटिविटी होती है। "फ्लोरोलस्टोमर्स" फ्लोरोपॉलीमर रबड़ों का परिवार है न कि एकल कंपनी। इसे उनकी फ्लोरीन मात्रा क्रमशः 66 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 70 प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। एफकेएम को व्यापक रूप से दो सेटों कोपोलाइमर और टर्पोलाइमर में वर्गीकृत किया जाता है।*

*फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) के हाइड्रोलिक ओ-रिंग सील्स, चेक वाल्व बाल्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स में औद्योगिक प्रयोग; शाफ्ट सील्स, फ्यूल इंजेक्टर ओ-रिंग, और फ्यूल लुब्रीकेंट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स, मैनीफोल्ड गार्स्केट और फ्यूल टैंक ब्लाडर में ओ-रिंग सील्स में एयरोस्पेस प्रयोग जैसे विभिन्न अनुप्रयोग हैं।"*

12. मोनोमर्स फ्लोरिंग कंटेंट्स और क्यूरेटिव्स पर आधारित दो मुख्य फ्लोरोइलास्टोमर्स की निम्नलिखित श्रेणियां हैं:

### क) कोपोलीमर फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफ 66 प्रतिशत):

इनको विनाइलीडीन फ्लोराइड (वीडीएफ) और हेक्साफ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। को-पॉलीमर एफकेएम दो रूपों अर्थात् राँ-गम और प्री-कंपाउंड में हो सकता है। इसमें काफी तापमान, ऑक्सीडेशन, ऑयल और रासायनिक प्रतिरोधकता तथा अच्छा यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। 66 प्रतिशत फ्लोरीन मात्रा से एफकेएम एक सर्वोत्तम तापमान प्रतिरोधक रबड़ होता है और इसका प्रयोग लम्बे समय के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पर और कम समय के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर किया जा सकता है।

### ख) टरपोलाइमर फ्लोरोइलास्टोमर्स (67-70 प्रतिशत):

इनको विनाइलीडीन फ्लोराइड (वीडीएफ), टेट्रा फ्लोरोथीन (टीएफई) और हेक्सा फ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) अथवा प्रोपीलीन अथवा परफ्लोरोमिथाइलविनाइलीथर (पीएमवीई) का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। टरपोलाइमर्स (एफकेएम) दो रूपों अर्थात् राँ गम और प्री-कंपाउंड में हो सकता है। इसको सुरक्षित और सुरक्षा योग्य टरपोलाइमरों में श्रेणीकृत किया जा सकता है। इसको क्यूरेटिव अर्थात् अमीन बिसफेनल और पैरॉक्साइड से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें अत्यधिक रासायनिक प्रतिरोधकता और दीर्घकालिक ताप प्रतिरोधकता वाले गुणधर्म होते हैं। 67-70 प्रतिशत फ्लोरीन मात्रा से एफकेएम टरपोलाइमर्स एफकेएम में अधिक एसिड कीटोन और कोपोलाइमर्स के बजाए अधिक ईस्टर प्रतिरोधकता होती है।

13. इस उत्पाद का समर्पित वर्गीकरण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का इस अधिनियम के सीमा शुल्क उप-शीर्ष सं. 3904 के अंतर्गत अध्याय 39 में वर्गीकरण किया गया है। हालांकि यह वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
14. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में पीसीए का दावा वही है जो मूल और उसके बाद की समीक्षा जांच में था। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समीक्षा के दायरे में संशोधन(कटौती सहित) का अनुरोध करते हुए कोई मात्रा बताया गया अनुरोध नहीं किया है।
15. प्राधिकारी विभिन्न अनुरोधों पर आधारित निम्नलिखित पहलुओं को नोट करते हैं:
- 1) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद रेंज के क्षेत्र के आधार पर इस याचिका में निम्नलिखित पीसीएन दिया है:

क्र. सं.	उत्पाद किस्म का नाम	पीसीएन	पीसीएन का विवरण
1	कोपोलाइमर रॉ गम	एफसीपी#आरजी0001	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलीमर रॉ गम
2	कोपोलाइमर प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0004	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड
3	टरपोलाइमर बिसफेनल क्यूरेबल रॉ गम	एफटीपीबीआरजी 0005	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टरपोलाइमर बिसफेनल क्यूरेबल रॉ गम
4	टरपोलाइमर पेरॉक्साइड क्यूरेबल रॉ गम	एफटीपीपीआरजी 0003	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टरपोलाइमर पेरॉक्साइड क्यूरेबल रॉ गम
5	टरपोलाइमर बिसफेनल क्यूरेबल रॉ गम	एफटीपीपीआरजी 0002	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टरपोलाइमर बिसफेनल क्यूरेबल रॉ गम

2. उत्पादक/निर्यातकों ने पीसीएन के अनुसार प्रश्रावली का उत्तर भी प्रस्तुत किया है जैसाकि ऊपर में उल्लेख किया गया है।
16. प्राधिकारी उपर्युक्त प्रस्तावित पीसीएन के मद्देनजर यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अर्थात् फ्लोरोइलास्टोमर्स में कोपोलाइमर और टरपोलाइमर दोनों कच्चे गोंद के रूप में तथा विभिन्न किस्मों में प्री-कंपाउंड रूप में हैं। कंपाउंड और एफकेएम विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अलग किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोध में उल्लिखित किस्मों (पीसीएन) पर विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों (पीसीएन) के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का अलग-अलग मूल्यांकन करने के लिए विचार किया गया है।
17. गुणवत्ता में अंतर के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद को केवल गुणवत्ता के आधारों पर जांच के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि कथित गुणवत्ता में अंतर के साथ ये उत्पाद एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।
18. प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान



पर उपयोग कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने भी घरेलू उद्योग से उसकी खरीद की है। उसको देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया था।

19. की गई उपर्युक्त जांच और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को देखते हुए, वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दावा वही है जो मूल जांच में था।

### घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

#### घ.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

20. घरेलू उद्योग की स्थिति और दावे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन गुजरात फ्लूओरोकेमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है।
- आवेदक का समग्र भारतीय उत्पादन है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई दूसरा उत्पादक नहीं है।
- आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक और भारत में आयातकों से या तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित नहीं है।
- कानूनी स्थिति की निर्णायक समीक्षाओं के चरण में स्थिति की जांच की जानी अपेक्षित नहीं है, के बारे में कोई भी पक्षपात नहीं किया गया।

#### घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

21. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

#### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

*“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”*

23. वर्तमान मामले में यह आवेदन गुजरात फ्लूओरोकेमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में एफकेएम का एकमात्र उत्पादक है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक का भारतीय उत्पादन का समग्र 100 प्रतिशत उत्पादन है। आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है, यद्यपि नियम 5(3) के आशय से स्थिति को नियम 23 के अंतर्गत शुरु की गई निर्णायक समीक्षा में फिर से स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

### ड. गोपनीयता

#### ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

24. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया के अनुसार यह आवेदन दायर किया है और जहां कहीं भी किसी सूचना को गोपनीय के रूप में दावा किया गया है, आवेदक ने तर्क दिया है।
- लागत संबंधी सूचना कंपनी का एक बिजनेस प्रोप्राइटी सूचना है और इसे संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।

- iii. उत्तर देने वाले निर्यातकों और उत्पादकों ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों की घोर उपेक्षा करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- iv. वर्तमान मामले में उत्तर देने वाले अधिकांश हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त और सार्थक अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।
- v. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी गई सूचना प्रश्नावली के उत्तर का एक आवश्यक हिस्सा होता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना के न होने के कारण, घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने के लिए कोई टिप्पणी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है।
- vi. अत्यधिक और अ-तर्कसंगत गोपनीयता के दावे अपने हितों की रक्षा करने के लिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, जांच की प्रक्रिया को बाधित करते हुए और प्राधिकारी को इन उत्तरों में त्रुटियों अथवा गलत प्रस्तुतियों की पहचान करने में हितबद्ध पक्षकार को अवसर नहीं देने के समान है।
- vii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इन उत्तरों की उपेक्षा करें और तदनुसार जांच परिणामों को जारी करें।
- viii. संभावना के संबंध में साक्ष्य बाजार अनुसंधान रिपोर्ट है जो एक तीसरे पक्षकार की सूचना है और आवेदक को उसे प्रकट करने का अधिकार नहीं है।

## ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

25. गोपनीयता के संबंध में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. इस याचिका का अगोपनीय पाठ (एनसीवी) इन आरोपों को तर्कसंगत रूप से समझने की अनुमति नहीं देता है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन करता है।
- ii. आवेदक ने प्रपत्र क से ट को गोपनीय के रूप में दावा किया है और इस याचिका का अगोपनीय पाठ (एनसीवी) में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- iii. संभावना के साक्ष्यों को गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।
- iv. सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना को रिपोर्टों के नामों और स्रोत सहित गोपनीय रखा गया है। चीन जन गण से निर्यातकों से संबंधित आंकड़े उनसे गोपनीय नहीं रखे जा सकता हैं।

## ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

*गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

27. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ दिनांक 7 सितंबर, 2017 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 और नियम 6(7) के अनुसार सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।
28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।
29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच इस नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है।

### च. विविध अनुरोध

#### च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

30. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को असहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।
  - एसोसिएशन ने स्वयं प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस याचिका के संबंध में कोई टिप्पणियां अथवा इसके प्रयोक्ताओं से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। एसोसिएशन ने सुनवाई के दौरान पहली बार अपना अनुरोध किया है।
  - इसके अलावा, एसोसिएशन के किसी भी सदस्य ने निर्धारित प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त प्रयोक्ता एसोसिएशन के सदस्य इन जांचों में भाग लेने के लिए और प्राधिकारी को अपने आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
  - प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण उत्तरों को अस्वीकार करें।
  - घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।

#### च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए शर्त को सिद्ध करने हेतु कोई प्रामाणिक साक्ष्य और इस आवेदन में कानूनी अथवा वास्तविक आधार का अभाव है।
  - नियम 11 और अनुबंध II के पैरा IV में सूचीबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकांकों के सार्थक विश्लेषण नहीं है कि यूनिट कीमत, कुल लागत, निवेश, रोजगार और भंडार के संबंध में अनुक्रमित आंकड़ों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है और उसका विश्लेषण नहीं किया गया है।
  - याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना नियम 5(3) के अंतर्गत जांच की शुरुआत के लिए पर्याप्त नहीं है। इस याचिका में उल्लिखित आरोप अनुमानों और मान्यताओं के आधार पर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स – साफ्टवुड लुम्बर, गुआटेमाला – सीमेंट II, और मेक्सिको – स्टील पाइप्स और ट्यूब्स में डब्ल्यूटीओ के पैनल की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाता है।

#### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है और इन अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:

33. आवेदन और प्रश्नावली के उत्तरों की पर्याप्तता और स्टीकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आवेदन में जांच की शुरुआत के उद्देश्य से संगत सभी सूचना निहित थी। प्राधिकारी ने इस तथ्य के संबंध में संतुष्टि के बाद ही कि इस आवेदन में इस जांच की शुरुआत का औचित्य ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य निहित है, वर्तमान जांच की शुरुआत करने का निर्णय लिया। प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में, उसमें निहित सूचना पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त पायी गई है।
34. एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की पात्रता के संबंध में अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के आधार पर इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को माना है और स्वीकार किया है।

**छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

35. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत; अथवा

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

**छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध 1 के पैरा 1 से 6 का तभी अनुपालन करेंगे जब उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह सिद्ध करती हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है। यदि उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना को अपनाया जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।

ii. वर्तमान जांच में उत्तर देने वाले किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

iii. डाइकिन फ्लूरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि. को छोड़कर उत्तर देने वाले किसी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए स्पष्ट दावा भी नहीं किया है।

iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करें।

v. घरेलू उद्योग यह मानता है कि यूएसए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त तीसरा देश है।

- vi. आवेदक ने यूएसए से भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है।
- vii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपलब्ध विकल्पों में तदानुक्रम के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है।
- viii. प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के पूर्व सामान्य मूल्य तय नहीं कर सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य या तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- ix. आवेदक कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम संघ सरकार के मामले में सेस्टेट के निर्णय जिसमें न्यायाधिकरण ने यह माना है कि जब भारत को सरोगेट देश से आयात कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है तब विकास का स्तर संगत नहीं है, का उल्लेख करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं।
- x. यह तथ्य कि एक उत्पाद की आयात कीमत अन्य उत्पाद की आयात कीमत से कम है, का आशय यह नहीं होता है कि आयात की कीमत को उपयुक्त नहीं माना जा सकता है और इस कारण से पूर्व के जांच परिणामों में अस्वीकार किए जा रहे यूएसए से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य संगत नहीं है।
- xi. निर्यात कीमत की गणना बाजार की सूचना और सामान्य अनुभव के आधार पर विभिन्न समायोजन करने तथा सर्वाधिक अपरिवर्तनीय अनुमानों पर विचार करने के बाद किया जाता है।
- xii. सबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन की गणना सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

## छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

37. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
  - i. चीन का एनएमई दर्जा 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया और इसलिए सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए सरोगेट देश की पद्धति का उपयोग करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
  - ii. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा दिया जाना है और एडीए के अनुच्छेद 2 के अनुसार गणना किए जाने के लिए सामान्य मूल्य की गणना की जानी है।
  - iii. ईसी-फास्टनर्स के निर्णय पर विश्वास किया गया है जिसमें यह माना गया है कि चीन अपने आप नवाचार के अनुच्छेद 15 के समाप्त होने पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लेता है।
  - iv. इसके अलावा, यूएस-चीन द्वारा द्विपक्षीय करार पर भी विश्वास किया गया है और चीन के आरोहण के संबंध में सामुदायिक स्थिति को सिद्ध करते हुए परिषद के निर्णय का यूरोपीय यूनियन का व्याख्यात्मक ज्ञापन - चीन को विश्व व्यापार संगठन ने इसके प्रवेश के बाद 15 वर्षों के लिए एनएमई के रूप में माना जाना है।
  - v. यूएसए चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने के लिए एक उपयुक्त सरोगेट देश नहीं है क्योंकि यूएसए चीन की तुलना में बहुत अधिक विकसित देश है।
  - vi. यूएसए से आयात कीमत पर संरचित सामान्य मूल्य के लिए विचार करना उपयुक्त और तर्कसंगत नहीं है।
  - vii. "पोलैंड के प्रवेश" और "रोमानिया के प्रवेश" के संबंध में कार्यकारी पक्षों की रिपोर्ट, जिसमें यह उल्लेख है कि एक अन्य देश के मूल के समान उत्पाद के लिए कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए उपयोग की गई पद्धति उपयुक्त होनी चाहिए और वह तर्कहीन नहीं होनी चाहिए।
  - viii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सामान्य मूल्य संरचित करें। यूएसए की आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों के बाद पिछले मामले में अस्वीकार किया गया था।

### छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- i. चैनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.
- ii. झोंगघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.
- iii. डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.
- iv. यूएनआई-अलायंस लिमिटेड, हांगकांग
- v. इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.

39. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद- VI टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद- VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

40. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (II) में निहित प्रावधान 11-12-2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नवाचार के 15 (क) (I) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिए जाने हेतु सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली नहीं प्रस्तुत की है। तदनुसार, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।

#### चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

41. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उल्लिखित अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना न होने के कारण प्राधिकारी ने "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" पर इस पद्धति पर विचार करने के बाद सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
42. इस कारण से प्राधिकारी ने भारत में विधिवत् समायोजित उत्पाद की लागत जिसमें उचित लाभों को जोड़ने पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य तय किया है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन-मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### निर्यात कीमत

#### सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

43. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- चेनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.
  - झोंगघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.
  - डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.
  - यूएनआई-अलायंस लिमिटेड, हांगकांग
  - इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.

#### चेनगुआंग फ्लूओरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि. की निर्यात कीमत

44. चैनगुआंग फ्लूओरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि. ने भारत को जांच की अवधि के दौरान \*\*\*यूएस डालर के बीजक मूल्य (एफओबी और सीआईएफ दोनों के साथ) के कुल \*\*\*मी.टन का संबद्ध वस्तुओं अर्थात् फ्लूओरोइलास्टोमर्स (कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड और टरपोलिमर बिशफेनोल क्यूरेबल प्रि-कंपाउंड, \*\*\*मी.टन और \*\*\*मी.टन) का निर्यात किया है।
- क. कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड: समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई और बैंक प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होती है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।
- ख. टरपोलिमर बिशफेनोल क्यूरेबल प्रि-कंपाउंड: कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड: समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई और बैंक प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होता है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

**डाइकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चीन) क. लि. (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण. और यूनि-अलायंस लिमिटेड (ट्रेडर) हांगकांग की निर्यात कीमत**

45. डाइकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चीन) क. लि ने दो चैनलो अर्थात मै. मित्सुबिशी (\*\*मी.टन) और मै. यूनि एलायंस (\*\*मी.टन) के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान \*\*\*मी.टन फ्लूओरोइलास्टर्म की सीमा तक संबद्ध वस्तुओं अर्थात फ्लूओरोइलास्टर्म का निर्यात किया है। मै. मित्सुबिशी ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। मै. यूनि एलायंस द्वारा निर्यातों में \*\*\*मी.टन फ्लूओरोइलास्टर्म (टरपोलिमर बिशफिनोल क्यूरेबल फुल-कंपाउंड) जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं है और जिसे बाहर किए जाने का प्रस्ताव है, शामिल है। इस कारण से, तीन ग्रेडों अर्थात् कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड, कोपोलिमर रा गम, टरपोलिमर बिसफिनोल प्रि-कंपाउंड के \*\*\* मी.टन तक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मै. यूनि एलायंस द्वारा क्रमशः \*\*\* यूएस डालर, \*\*\* यूएस डालर, \*\*\* यूएस डालर के कुल बीजक मूल्य (एफओबी और सीआईएफ सहित) पर कुल \*\*\* मी.टन, \*\*\* मी.टन, \*\*\* मी.टन का निर्यात किया गया है।

क. कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड: समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय दुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत और बैंक प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होता है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

ख. कोपोलिमर रा गम: समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय दुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत और बैंक प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होती है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

ग. टरपोलिमर बिसफिनोल प्रि-कंपाउंड: समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय दुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत और बैंक प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होता है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

**झोंघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. की निर्यात कीमत**

46. झोंघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. ने भारत को जांच की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डालर के बीजक मूल्य के कुल \*\*\* मी.टन का संबद्ध वस्तुओं अर्थात फ्लूओरोइलास्टर्मर्स (कोपोलिमर – रा गम और टेरिपोलिमर बिशफिनोल क्यूरेबल रा गम, क्रमशः \*\*\* मी.टन, \*\*\* मी.टन) का निर्यात किया गया है।

क. कोपोलिमर रा गम: अंतर्देशीय दुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार और ऋण लागत के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होता है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

ख. कोपोलिमर बिसफिनोल क्यूरेबल रा गम: अंतर्देशीय दुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होता है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

**इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि. की निर्यात कीमत**

47. इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि. ने भारत को जांच की अवधि के दौरान एफओबी रूप में \*\*\* यूएस डालर के बीजक मूल्य के कुल \*\*\* मी.टन का संबद्ध वस्तुओं अर्थात फ्लूओरोइलास्टर्मर्स (कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड, कोपोलिमर रा गम क्रमशः \*\*\* मी.टन, \*\*\* मी.टन) का निर्यात किया गया है।

क. कोपोलिमर रा गम: अंतर्देशीय दुलाई और पोर्ट हैंडलिंग प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होती है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।



- ख. कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड: अंतर्देशीय दुलाई और पोर्ट हैंडलिंग प्रभार के संबंध में समायोजन की अनुमति देने के बाद, कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\*डा./मी.टन होता है। सभी लागू शुल्कों को लागू करने के बाद पहुंच मूल्य \*\*\*डा./मी.टन होता है।

#### असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

48. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातक जिन्होंने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी ने चीन से "किसी अन्य उत्पादक/निर्यात" के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में "उपलब्ध तथ्यों" के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

#### संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

49. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है। असहयोगी/शेष श्रेणी के लिए प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच उच्चतम पाटन मार्जिन पर विचार किया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। इस प्रकार से, इस उत्पाद का पाटन वर्तमान अवधि में जारी रहा है।

उत्पादक/निर्यातक	पाटन मार्जिन यूएस.डालर/कि.ग्रा. में	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज -%
मै. चेनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.	***	***	20-40
मै. झोंगघाओ चेनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	0-20
मै. एयूएल के माध्यम से मै. डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.	***	***	0-20
मै. इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.	***	***	60-80
कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	60-80

- ज. क्षति का निर्धारण और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति

#### **ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

50. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को इसमें नीचे फिर से दिया गया है:

- घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद लगातार क्षति हुई है।
- वर्तमान मामले में, पाटनरोधी शुल्क जांच की अवधि और न कि क्षति की अवधि के पिछले वर्षों के दौरान लागू थी।
- ये मानदंड पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में सुधार को दर्शाएंगे। हालांकि, घरेलू उद्योग पाटित आयातों की सतत् मौजूदगी के कारण पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद जोखिम की स्थिति में है।
- संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2017-18 तक वृद्धि हुई और इसमें जांच की अवधि में गिरावट आई। उसका कारण ऑटो उद्योग में मांग में अस्थायी गिरावट है।

- v. संबद्ध आयातों में 2017-18 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई। उसका कारण पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना है। चीन का आयात विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 41 प्रतिशत, मांग का \*\*प्रतिशत और उत्पादन का \*\* प्रतिशत है।
- vi. आयात और घरेलू कीमतों का माह-दर-माह विश्लेषण करने पर यह देखा जाएगा कि कीमत में कटौती पहले नकारात्मक थी और जांच की अवधि के अंत में सकारात्मक हो गई।
- vii. घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के साथ अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं है, घरेलू उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है।
- viii. पाटित आयातों के फलस्वरूप काफी हद तक कम कीमत पर बिक्री हुई है।
- ix. उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें कमी आई।
- x. माल सूची में दिसंबर, 2018 तक वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने उसके बाद माल सूची के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन में कटौती की। घरेलू उद्योग के पास भंडार में बहुत अधिक मालसूची है।
- xi. घरेलू उद्योग बाजार में पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण क्षति की पूरी अवधि में हानि में रहा है। लाभ/हानि, नकदी का प्रवाह और आरओसीई सहित सभी मानदंड जांच की पूरी अवधि के दौरान नकारात्मक रहे हैं।
- xii. घरेलू उद्योग का काफी हद तक अपर्युक्त क्षमताएं होने के बावजूद जांच की अवधि में \*\*\* प्रतिशत का कम बाजार हिस्सा है।
- xiii. घरेलू उद्योग चीन के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद की समग्र मांग को पूरा करने में सक्षम है।
- xiv. आवेदक को अभी भी उपयोग न की गई क्षमताओं के कारण हानि हो रही है जिसे निर्यात की ओर परिवर्तित किया जाना था। हालांकि प्राधिकारी को दी गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू और निर्यातों के लिए उस सीमा तक पृथक रूप से दी जाती है जिस सीमा तक उसे अलग किया जा सकता है।
- xv. को-पोलिमर प्रि-कंपाउंड के आयातों के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि यह गिरकर शून्य हो गया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
- xvi. डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट्स मामले पर किया गया विश्वास संगत नहीं है क्योंकि यह एक कोई सतत् क्षति न होने वाला मामला था जबकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी रही और इसको लगातार हानि हो रही है।
- xvii. ऐसे अनेक मामले हैं जहां प्राधिकारी ने उस स्थिति में शुल्कों को जारी रखा है जब संबद्ध देश से शून्य आयात हुआ है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- xviii. घरेलू उद्योग के घाटे में पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के कारण वर्तमान जांच में, जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- xix. प्राधिकारी की भी स्थितियों में 22 प्रतिशत लाभ की अनुमति देने की कार्य-पद्धति है और इस कारण से इक्विटी की मांग के सिद्धांत कि वह सभी स्थितियों में लागू है।
- xx. जैसे ही यह सिद्ध किया गया है कि शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने और उसके फिर से होने की संभावना है, संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxi. चीन के उत्पादक कमतर कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री करना जारी रख रहे हैं। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि तीसरे देश से आयात बहुत बेहतर कीमतों पर हो रहे हैं। विश्व के शेष देशों और चीन के उत्पादकों के द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों के बीच अधिक अंतर नहीं है। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग उचित कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।
- xxii. जब घरेलू उद्योग इष्टम कीमतों से कम कीमतों की पेशकश भी करते रहे हैं तब यह अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है।

- xxiii. संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर बिक्री हो रही है। ऐसा मामला होने के कारण इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देश में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं, पाटित आयातों की मात्रा में काफी हद तक वृद्धि होगी।
- xxiv. यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है और उसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि होती है तब घरेलू उद्योग संबंधित उत्पाद की कीमतों को आगे और काफी हद तक कम करने के लिए बाध्य होगा।
- xxv. घरेलू उद्योग को किए गए निर्यातों के बावजूद मालसूची में बहुत अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जो स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के जोखिम को दर्शाता है। ऐसी परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग की स्थिति और गंभीर हो जाएगी।

## ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

51. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध यहां नीचे दिया गया है:

- i. मात्रा के संबंध में कोई हानि नहीं हुई क्योंकि भारत में मांग और संबद्ध देश से आयातों में कमी आई है।
- ii. घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है।
- iii. चीन से आयात मांग पर आधारित है। को-पोलिमर प्रि-कंपाउंड की आयात की मात्रा में जनवरी, 2019 में 63.03 मी.टन से अगस्त, 19 में 2.40 मी.टन तक गिरावट आई।
- iv. जुलाई 19 और सितंबर 19 में आयात शून्य हैं।
- v. आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। उत्पादन और क्षमता के उपयोग में भी वृद्धि हुई है।
- vi. मूल और वर्तमान जांच में कीमत में कटौती टरपोलिमर रा गम को छोड़कर सभी प्रकारों के एफकेएम के लिए नकारात्मक हैं।
- vii. घरेलू उद्योग को क्षमता में अनुचित वृद्धि के कारण क्षति हुई है।
- viii. घरेलू उद्योग के घाटे में जांच की अवधि के दौरान 100 से 61 तक गिरावट आई और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
- ix. एनआईपी को बढ़ाचढ़ा कर उल्लेख किया गया है। नियोजित पूंजी के ऋण हिस्से के रूप में आरओसीई को नहीं अपनाए जाने के लिए 22 प्रतिशत के रूप में दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी के निवल पूंजी के हिस्से पर 22 प्रतिशत से अधिक लाभ दिया गया है और घरेलू उद्योग को इतना अधिक 22 प्रतिशत लाभ वैश्विक मंदी के दौरान दिए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर उचित लाभ पर प्राधिकारी विचार करेंगे जब एनआईपी का निर्धारण करने के लिए पाटन का कोई आरोप नहीं था। संदर्भ: ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, हाइओसंग कारपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, यूरोपियन फर्टिलाइजर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ईएफएमए) बनाम काउंसिल।

## ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. इस नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और पाटित आयातों की मात्रा; और (ख) इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में या भारत में उत्पाद अथवा खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा काफी हद तक हुई होती।

53. अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।
54. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

*" (iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

55. वर्तमान क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों और कीमतों तथा लाभप्रदता पर इसके प्रभावों की जांच पाटन और क्षति के बीच क्षति और कारणात्मक संबंधों के मौजूद होने, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए किया है। प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और और इस नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।
56. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट को दर्शाते हैं। कुछ मानदंड गिरावट को दर्शा सकते हैं जबकि कुछ नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी क्षति के सभी मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं।
57. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो तो इस प्रकार के लगाए जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत हो कि ऐसे शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, यह समय समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकता है और आगे इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि ऐसे समय विस्तार के आदेश की तिथि से आरंभ होगी। वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयात की मात्रा बहुत कम नहीं है, इस उत्पाद का पाटन संगत अवधि के दौरान जारी रहा है।
58. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना की पहलुओं की जांच करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।

#### **क. मांग और बाजार हिस्से का आंकलन**

59. इस उद्देश्य से, भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में लिया जाता है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। भारत में मांग और खपत के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा नीचे दिए गए अनुसार है:

मांग	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	जन-सित.'19
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	174	289	230	230
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	-	-	-	-	-
चीन (संबद्ध देश)	मी.टन	352	539	395	238	178
आयात-अन्य देश	मी.टन	424	412	363	390	292
कुल भारतीय मांग	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	129	121	99	99

60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2017-18 में वृद्धि हुई है और उसके बाद 2018-19 में तथा आगे जांच की अवधि में गिरावट आई है।

#### घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

##### i. संबद्ध देश के आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

61. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	इकाई
आयात मात्रा						
संबद्ध देश	मी.टन	352	539	395	238	178
अन्य	मी.टन	424	412	363	390	292
कुल	मी.टन	777	952	758	628	471
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात						
कुल आयात	%	45.35	56.67	52.15	37.89	37.89
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***	***
भारतीय खपत	%	***	***	***	***	***

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल पाटनरोधी जांच 2 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी और संबद्ध देश पर दिनांक 28 जनवरी, 2019 को पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था जो जांच की अवधि के दौरान है। परिणामस्वरूप, संबद्ध देश से आयातों में स्वतंत्र रूप में और उत्पादन और खपत की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

#### पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और उनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव

63. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर अन्यथा काफी हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा काफी हद तक हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत

न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत से की गई है।

i. **कीमत में कटौती**

64. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों के कारण कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने उत्पाद की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की है। आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू कीमतों और कटौती का मार्जिन नीचे तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा	993	1000	1061	983
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./किग्रा	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती (%)	% रेंज		नकारात्मक	नकारात्मक	1-20

65. यह नोट किया जाता है कि कीमत में कटौती के आयात क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकारात्मक है। हालांकि यह जांच की अवधि के दौरान मामूली रूप से सकारात्मक है।

ii. **कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण**

66. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर काफी हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में क्षति की अवधि जब पाटनरोधी शुल्क लागू किया, के दौरान परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./किग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	91	83	91
बिक्री कीमत	रु./किग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	100	112
पहुंच कीमत	रु./किग्रा	993	1000	1061	983
	सूचीबद्ध	100	101	107	99

67. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को लागतों की सीमा तक बढ़ाने में सक्षम नहीं है। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

iii. **कम कीमत पर बिक्री**

68. कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन सबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति रहित कीमत की तुलना करते हुए की गई है।

विवरण-जांच की अवधि	इकाई	कुल (सभी प्रकार के एफकेएम)	कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड	कोपोलिमर रॉ गम	टेरपोलिमर बिसफिनोल क्योर्ड प्रि-कंपाउंड	पहचान न किए गए प्रकार
आयात की मात्रा	मी.टन	178	101	24	5	48
क्षति रहित कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	983	1,042	670	1277	983
क्षति मार्जिन	रु./किग्रा.	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डा./किग्रा.	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	% रेंज	40-60	20-40	40-60	20-40	40-60

69. क्षति रहित कीमत से पहुंच कीमत की तुलना करने पर यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन हुआ है।

#### घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि ऐसे आयातों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

#### क. क्षमता, उत्पादन क्षमता का उपयोग और बिक्री

71. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता के उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					जन-सित'19	वार्षिकीकृत
क्षमता – रॉ गम	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	138	242	273	273
उत्पादन – रॉ गम	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	199	501	390	390
क्षमता का उपयोग – रॉ गम	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	145	207	143	143
प्रि-कंपाउंड का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	497	398	398
प्रि-कंपाउंड के लिए उपयोग किए जाने वाले कैप्टिव रॉ गम	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	181	605	503	503

विक्री के लिए निवल उत्पादन मात्रा	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	180	431	322	322
विक्री (घरेलू)	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	174	289	230	230

72. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्री और क्षमता के उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

**ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा**

73. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की विक्री(आवेदक)	%	***	***	***	***
संबद्ध देश से आयात	रेंज %	20-40	40-60	20-40	20-40
अन्य देश से आयात	रेंज %	40-60	20-40	20-40	40-60
मांग का कुल हिस्सा	%	100.00	100.00	100.00	100.00

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में मामूली रूप से गिरावट आई है।

**ग. मालसूची**

75. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

भंडार (मात्रा)	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
औसत	मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	187	322	363

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची स्तर में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया है।

**घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ**

77. घरेलू उद्योग का लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					जन-सित'19	वार्षिकीकृत
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./किग्रा	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-65	-46	-44	-44
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-113	-133	-102	-102
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-91	-125	-95	-95
प्रति इकाई पीबीआईटी	रु./किग्रा	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-63	-44	-40	-40



पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-109	-127	-92	-92
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-108	-143	-205	-205

78. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति की पूरी अवधि के दौरान घाटे में रहा है। लाभ/हानि, पीबीआईटी, नकद प्रवाह और आरओसीई क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकारात्मक रही है।

#### ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

79. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार थी:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					जन-सित'19	वार्षिकीकृत
कामगारों की संख्या	सं.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	120	120	120	120
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	180	431	322	322
प्रति कामगार उत्पादकता	मी.टन/सं.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	150	357	267	267
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	158	181	163	163

80. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार का स्तर 2017-18 से स्थिर रहा है। भुगतान की गई मजदूरी और उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को दर्शाने के लिए संगत नहीं हैं।

#### च वृद्धि

81. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की जांच नीचे दिए गए अनुसार दर्शाई गई है:

पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
					वास्तविक
उत्पादन	सूचीबद्ध	-	80	139	-25
घरेलू बिक्री की मात्रा	सूचीबद्ध	-	74	66	-21
घरेलू लाभ/हानि	सूचीबद्ध	-	-35	-29	-4
औसत भंडार	सूचीबद्ध	-	87	72	13

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि देखी है।

#### छ. पाटन का स्तर और पाटन का मार्जिन

83. यह पाया गया कि पाटन का मार्जिन संबद्ध देश से सकारात्मक है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है।

**ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

84. आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता और वित्तीय हानि में बहुत अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार से प्राधिकारी यह मानते हैं घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रधान कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

**झ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

85. घरेलू उद्योग जांच की अवधि में वित्तीय हानि उठा रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ इस उद्योग के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा है जिसने पूंजी निवेश जुटाने की अपनी क्षमता को प्रभावित किया है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इस कारण से पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता केवल इस उत्पादक के कार्य-निष्पादन के आधार शासित नहीं होता है। हालांकि, निवेश संबंध निर्णय अलग-अलग उत्पाद के कार्य-निष्पादनों पर आधारित है।

**क्षति का परिमाण और क्षति का मार्जिन**

86. जब संबद्ध देश से निर्यातों की पहुंच मूल्य से तुलना की जाती है तब घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति-रहित कीमत जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और बहुत अधिक क्षति मार्जिन को दर्शाता है।

उत्पादक/निर्यातक	क्षति मार्जिन यूएस डा./किग्रा. में	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज -%
मै. चैनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.	***	***	20-40
मै. झोंगघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	0-20
मै. एयूएल के माध्यम से मै. डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.	***	***	0-20
मै. इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.	***	***	60-80
कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	60-80

87. शेष श्रेणी के लिए प्राधिकारी ने इस उद्देश्य से उपयुक्त पीसीएन की न्यूनतम पहुंच मूल्य और एनआईपी पर विचार करते हुए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच मूल्यांकन की गई उच्चतम क्षति मार्जिन पर विचार किया है।

**कारणात्मक संबंध**

88. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की जांच पहले ही मूल जांच में की जा चुकी है, प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध निम्नलिखित अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत**

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि में तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पादों के आयात की मात्रा बहुत अधिक कीमत पर हुई है।

**ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

90. संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से खपत के पैटर्न में परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।

**घ. निर्यात कार्य-निष्पादन**

91. आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हालांकि उन्होंने घरेलू प्रचालनों में क्षति का दावा नहीं किया है। आवेदकों ने पृथक रूप से घरेलू बिक्री के लिए लागत निर्धारण और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। इस कारण से, घरेलू बिक्री को क्षति के लिए निर्यात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

**ड. प्रौद्योगिकी का विकास**

92. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

**च. कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन**

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस आशय का कोई अनुरोध नहीं किया गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को एक क्षति का एक संभावित कारण है।

**छ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

94. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और उसका स्वतंत्र रूप से देश में आयात किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

**ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध या तो घरेलू उद्योग अथवा किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**झ. क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना**

96. समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश होना अथवा प्रवेश करने की संभावना जारी है और क्या घरेलू उद्योग को क्षति के, यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तब इन पाटित आयातों के जारी रहने अथवा उनके फिर से होने की संभावना है।

**झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

97. पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- संबद्ध देश में उत्पादक 16,950 मी.टन तक विशाल क्षमताएं रखते हैं। इन क्षमताओं में प्रमुख उत्पादक जैसे चेनगुआंग/चेमोरियस, सोल्वे चांगशु, डायकिन चांगशु, 3 एफ चांगशु, 3एफ इनर मोंगोलिया एंड फ्लोरिन शामिल नहीं हैं।
  - चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के पास लगभग 11.02 केटी (चीन के उत्पादकों के पास इस क्षमता का लगभग 65 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया है) के विचाराधीन उत्पाद के लिए बहुत अधिक अपर्युक्त क्षमताएं हैं।
  - चीन के निर्यातकों ने हाल के वर्षों में लगभग 5600 मी.टन तक अपनी संबंधित उत्पादन क्षमताओं का विस्तार किया है।
  - यह क्षमता विस्तार चीन के बाजारों में विकास दरों में गिरावट के बावजूद हुआ है जो दर्शाता है कि चीन के उत्पादकों का निर्यातोन्मुख दृष्टिकोण है।

- v. चीन में संबद्ध वस्तुओं के लिए कुल मांग लगभग 10,800 मी.टन है। हालांकि चीन के उत्पादकों की ज्ञात क्षमताएं चीन में संबद्ध वस्तुओं की मांग से बहुत अधिक है।
- vi. इसके फलस्वरूप चीन में इन वस्तुओं की अत्यधिक आपूर्ति हुई है जिसके द्वारा क्षमता मांग से अधिक है। चीन के पास अत्यधिक क्षमताएं लगभग 6150 मी.टन है।
- vii. चीन का विचाराधीन उत्पाद की विश्व की कुल क्षमताओं का 31 प्रतिशत है।
- viii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में या तो वैश्विक स्तर पर गिरावट आ गई है अथवा यह स्थिर रही है। मांग में गिरावट की यह प्रवृत्ति संबद्ध देश में भी देखी जा सकती है।
- ix. यह अवरुद्धता ईंधन से इलेक्ट्रिकल वाहनों तक चलाए जाने वाले वाहनों से ऑटो मोबाइल क्षेत्र में हालिया परिवर्तन और ऑटो मोबाइल क्षेत्र में समग्र गिरावट के कारण है। इसके विपरीत भारत ने क्षति की अवधि के दौरान मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
- x. प्रयोक्ता उद्योग के पैटर्न में इस परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में वैश्विक रूप से गिरावट आई है और इस कारण से संबद्ध देश के प्रमुख बाजार बंद हो रहे हैं जो भारत को संबद्ध देश से निर्यातों की संभावना या वृद्धि करता है।
- xi. पाटन की संभावना को भी इस तथ्य के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि संबद्ध देश से निर्यातों में पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के बाद गिरावट आई है।
- xii. वैश्विक रूप से जहां तक संबद्ध वस्तुओं का लगभग 26,290 मी. टन का संबंध है, उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। इस कारण से निर्यातक अतिरिक्त बाजारों जहां वे अपनी क्षमताओं की बिक्री कर सकते हैं, की खोज लगातार कर रहे हैं।
- xiii. उत्पादक-वार पाटन मार्जिन पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना को दर्शाता है।
- xiv. चीन में निर्यातकों/उत्पादकों के पास 6730 मी.टन की स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता है जो आसानी से भारत में समग्र मांग को पूरा कर सकता है।
- xv. चीन से निर्यातक न केवल भारत में पाटित कर रहे हैं बल्कि वे अन्य देशों में भी पाटित कर रहे हैं।
- xvi. ये साक्ष्य दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को थाइलैंड और ताइवान के माध्यम से भेजा जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इन आयातों के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आने की संभावना है।
- xvii. बाजार सूचना यह दर्शाती है कि आयातक गलत घोषणा के द्वारा पाटनरोधी शुल्क से बच रहे हैं। इसके अलावा, यह सिद्ध करता है कि पाटन और क्षति की संभावना है।
- xviii. चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का संदर्भ लेने का जहां तक प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्य उल्लिखित मामले से अलग हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के मामले में, कोई सतत् क्षति नहीं हुई थी जबकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई थी और इसे लगातार हानि उठानी पड़ रही थी।

## झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

98. विदेशी उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं, चीन के निर्यातकों की अप्रयुक्त क्षमताएं, क्षमता में अत्यधिक विस्तार और चीन के बाजार में अत्यधिक क्षमता के आवेदक के दावे आधारहीन हैं। पाटन अथवा क्षति के जारी रहने या उसके फिर से होने की संभावना के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए गए हैं।

## झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

99. वर्तमान जांच चीन जन.गण से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। इस नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखना आवश्यक है। इसके लिए इस तथ्य की भी जांच अपेक्षित है कि क्या लगाए गए शुल्क से अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो रही है।

100. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों जिनका घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना पर प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है। संभावना के मानदंडों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

क. **पाटनरोधी शुल्क के रहते हुए उल्लेखनीय मात्रा में लगातार आयात**

101. संबद्ध जांच में आयात संबंधी ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	वार्षिकीकृत	जांच की अवधि जन-सित'19
<b>आयात की मात्रा</b>						
चीन से आयात	MT	352	539	395	259	178

102. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में 2017-18 तक वृद्धि हुई है लेकिन उसमें 2018-19 तथा जांच की अवधि में गिरावट आई।

ख. **संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उत्पादन क्षमता**

कंपनी	क्षमता (किग्रा)	
	पिछला लेखांकन वर्ष	जन-सित. 2019
डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.	***	***
मै. चैनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.	***	***
मै. झोंगघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	***	***
मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.	***	***

ग. **विदेशी उत्पादकों के स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं**

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लेखांकन वर्ष 2018 और जांच की अवधि जनवरी-सितंबर, 2019 के लिए चीन के अनेक उत्पादकों का उत्पादन, घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे दिए गए अनुसार है:

2018 का लेखांकन वर्ष	संस्थापित/रेटेड क्षमता (मात्रा) (किग्रा)	उत्पादन (मात्रा) (किग्रा)	क्षमता का उपयोग (%)	कुल बिक्री (मात्रा) (किग्रा)	घरेलू बिक्री (मात्रा) (किग्रा)	भारत को बिक्री (मात्रा) (किग्रा)
मै. चैनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.	***	***	***	***	***	***
डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.	***	***	***	***	***	***
मै. झोंगघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	***	***	***	***

मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.	***	***	***	***	***	***
जांच की अवधि जन.- सितंबर, 2019	संस्थापित/रेटेड क्षमता (मात्रा) (किग्रा)	उत्पादन (मात्रा) (किग्रा)	क्षमता का उपयोग (%)	कुल बिक्री (मात्रा) (किग्रा)	घरेलू बिक्री (मात्रा) (किग्रा)	भारत को बिक्री (मात्रा) (किग्रा)
मै. चैनगुआंग फ्लूओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.	***	***	***	***	***	***
डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.	***	***	***	***	***	***
मै. झोंगघाओ चैनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	***	***	***	***
मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.	***	***	***	***	***	***

104. यह देखा जाता है कि उत्पादकों के पास अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।

घ. वर्तमान और पिछले पाटन मार्जिन का स्तर

105. मूल तथा वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है।

य. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

य.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

106. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:

- आल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) पर विचार एक असहयोगी पक्षकार के रूप में किया जाना चाहिए। एआईआरआईए की ओर से प्रस्तुत अनुरोधों का कोई भी एनसीवी घरेलू उद्योग को परिचालित नहीं किया गया था।
- सामान्य मूल्य की संरचना संबंधी कानून अर्थात् अनुबंध I का नियम 7 एक आंतरिक तदानुक्रम को प्रस्तुत करता है जहां प्रथम दो कार्य-पद्धतियों को प्रधानता दी जाती है। केवल उन मामलों में जहां वे व्यावहारिक नहीं पाए जाते हैं, अपनाई गई तीसरी पद्धति है।
- सामान्य मूल्य का निर्धारण यूएसए से आयात कीमत के आधार पर किया जा सकता है। सीएनवी को इस बात का पता लगाने के बाद ही अपनाया जा सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से अन्य देश जिसमें भारत शामिल है, को कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- चूंकि मै. मित्सुबिशी ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अतः मै. मित्सुबिशी के माध्यम से मै. डायकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि. की निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा न्यूनतम निर्यात कीमत पर आधारित होना अपेक्षित है।
- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है।

- vi. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण लगातार क्षति हुई है।
- vii. इस बात की निश्चित संभावना है कि घरेलू उद्योग को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में क्षति होना जारी रहेगा और इस कारण से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाना अपेक्षित है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क को यूएस डालर प्रति कि.ग्राम में दर्शाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित रूप) के रूप में लगाया जा सकता है।
- ix. घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि करने और उसका समय-विस्तार दिए जाने का अनुरोध करता है, घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि इस शुल्क को यूएस डालर के रूप में लगाया जाना चाहिए।

## य.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

107. किसी भी निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

## य.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

108. प्रकटन पश्चात अनुरोध केवल घरेलू उद्योग से प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने पुनरावृत्तियों सहित घरेलू उद्योग द्वारा किए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है जिसे इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अनुचित रूप से समाधान किया जा चुका है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

- i. मै. मित्सुबिशी के माध्यम से मै. डायकिन फ्लूरोओकेमिकल्स (चीन) कं. लि. के द्वारा निर्यातों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. मित्सुबिशी के माध्यम से मै. डायकिन फ्लूरोओकेमिकल्स (चीन) कं. लि. का निर्यात मै. डायकिन फ्लूरोओकेमिकल्स (चीन) कं. लि. के कुल निर्यातों का 10 प्रतिशत से कम है। इस कारण से प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा दायर की गई प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार किया है। इसके अलावा, पाटन मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है। जहां तक इन निर्यातकों में से एक निर्यातक द्वारा असहयोग का प्रश्न है, इस प्रकार के निर्यातों में पाटन मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्य के आधार पर किया गया है।
- ii. प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से एआईआरआईए द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है।

## ट. पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

109. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि यद्यपि संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है और संबद्ध वस्तुओं का आयात पाटित कीमतों तथा क्षति रहित कीमत से कम कीमतों पर किया जा रहा है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह भी दर्शाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में बहुत अधिक गिरावट और वित्तीय हानि हुई है। इस प्रकार से यह सभी मानदंड दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देश में निर्यातकों के द्वारा पाटित कीमतों पर भारत में पाटित उत्पाद के निर्यात और अधिक होने की संभावना है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

## ठ. भारतीय उद्योग के हित

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश/प्रदेश से आयातों पर किसी भी रूप में प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

111. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद के कीमत स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपाय यदि विशेषकर पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो, के द्वारा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को रोका जाएगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

#### ठ. निष्कर्ष

112. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों और उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, के संबंध में तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है और ये आयात शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन कीमतों पर भारतीय बाजार में संभवतः होंगे।
- ख. पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है।
- ग. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना उस स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाती है जब लागू पाटनरोधी शुल्क को इस चरण में समाप्त होने दिया जाता है।
- घ. यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि इस चरण में पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहेगी।

#### ड. सिफारिशें

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना देने के लिए समुचित अवसर दिया गया था।
114. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है।
115. प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। नीचे दी गई तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित सामान, जो विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किया गया हो।

#### शुल्क तालिका

क्र.स.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39045090, 39046990, 39049000, 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) *नीचे दी गई टिप्पणी	चीन जन.गण	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै. चेनगुआंग फ्लुओरो ऐंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं. लि.	3.85	कि.ग्रा.	यूएस.डा.



2	-वही-	वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै. झोंगघाओ चेनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	1.30	कि.ग्रा.	यूएस.डा.
3	-वही-	वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै. एयूएल के माध्यम से मै. डैकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चाइना) कं., लि.	1.04	कि.ग्रा.	यूएस.डा.
4	-वही-	वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	इनर मोंगोलिया 3एफ वान्हाओ फ्लूओरोकेमिकल कं. लि.	6.84	कि.ग्रा.	यूएस.डा.
5	-वही-	वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	उपर्युक्त क्रम सं. 1 से 4 में उल्लिखित देश को छोड़कर कोई अन्य देश	8.86	कि.ग्रा.	यूएस.डा.
6	-वही-	वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण	कोई भी	8.86	कि.ग्रा.	यूएस.डा.

\* विचाराधीन उत्पाद का दायरा कोपोलिमर फ्लूरोइलास्टोमर्स, टेरपोलिमर फ्लूरोइलास्टोमर्स, कोपोलिमर राँ गम, कोपोलिमर प्रि-कंपाउंड, टेरपोलिमर बिसफिनोल क्यूरेबल राँ गम, टेरपोलिमर पेरोऑक्साइड क्यूरेबल राँ गम और टेरपोलिमर बिसफिनोल क्यूरेबल राँ गम सहित फ्लूरोइलास्टोमर्स है। हालांकि एफकेएम कंपाउंड और परफ्लूरोइलास्टोमर (एफएफकेएम) को संबद्ध वस्तुओं के दायरे से बाहर किया जाता है।

\*\*\* टिप्पणी – सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऊपर में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद तब भी उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन होने चाहिए जब इसका आयात किसी अन्य एसएसस कोड के अंतर्गत किया जाता हो।

116. इन जांच परिणामों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**NOTIFICATION**  
**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 19th October, 2020

**Case No. (SSR) 02/2020**

**Subject : Sunset Review investigation concerning anti-dumping duty on imports of ‘Fluoroelstomer’ (FKM) originating in or exported from China PR.**

**F. No. 7/03/2020-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) thereof;

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated the original anti-dumping investigation in respect of the imports of “Fluoroelastomers (FKM)” (hereinafter referred to as the subject goods or PUC or Product Under Consideration) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) vide Notification No. No. 6/25/2017-DGAD dated 2nd January 2018. The Authority notified final findings vide Notification No 6/25/2017/DGAD dated 27th December 2018 recommending definitive antidumping duty on imports of Fluoroelastomers (FKM) from the subject country for a period of 18 months. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 6/2019-Customs (ADD) dated 28th January 2019 for a period of 18 months till 27<sup>th</sup> July 2020. Further ADD was extended for period of three months vide Custom Notification No 19/2020-Customs (ADD) dated 21<sup>st</sup> July, 2020 up to 27<sup>th</sup> October 2020.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the DI, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

*“...any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”*
4. M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of " “Fluoroelastomers (FKM)” (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").
5. In view of the duly substantiated application, filed by the Applicant, the Authority in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Antidumping Rules, initiated the sunset review investigation vide Notification No.7/03/2020- DGTR (Case No. SSR 02/2020) dated 07<sup>th</sup> February, 2020 to review the need for continued imposition of the antidumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from subject country, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

6. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Central Government vide Notification No. 19/2020-Customs (ADD) dated 21<sup>st</sup> July, 2020 extended the Anti-dumping duties till 27<sup>th</sup> October, 2020.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country

## **B. PROCEDURE**

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.
  - ii. The Authority issued a Notification dated 07<sup>th</sup> February, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject country
  - iii. The Authority sent copy of the initiation notification dated 07<sup>th</sup> February, 2020 to the Embassy of the subject country in India, known producer and exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
  - iv. Copy of letter and questionnaire sent to the exporters were also sent to Embassy of the subject country along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
  - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
  - vi. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the SSR to the following known producers/exporters in the subject countries and provided them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
    - a. M/s. Zhengxin Fluorocarbons
    - b. M/s. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd
    - c. M/s. Changzhou Xiangtong Chemical Co. Ltd.
    - d. M/s. Taizhou Meilan Resin Process Co. Ltd
    - e. M/s. ShanDong DongYue Polymer Material Co., Ltd
    - f. M/s. DuPont (Changshu) Fluoro Technolozy Co. Ltd.
    - g. M/s. Sichuan Chenguang Institute of Chemical Industry
    - h. M/s. Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.
    - i. M/s. Juhua Group Corporation
    - j. M/s. Shanghai 3F New Materials Co., Ltd. (Manufacture)
    - k. M/s. Fuxin Hengtong Fluorine
    - l. Chenguang Research Institute of Chemical Industry
    - m. The Chemours Chemical Co., Ltd.
    - n. Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd.
    - o. Shanghai Fluoron TM Chemicals Co.,Ltd,
    - p. Chengdu Dowhon Industrial Co.,Ltd..
    - q. Solvay (China) Co.,Ltd.

- r. Guangzhou Polain Chemical Technology Co., Ltd
  - s. Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd,
  - t. Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd
  - u. Shanghai HeChang Fluorocarbon Co Ltd
  - v. Wuxi Fuda Fluoroplastics Co., LTD
  - w. Beijing Ruicheng Co. Ltd.
  - x. Kam Pin Paint Works Ltd
  - y. Hubei Dachang China Co Ltd
  - z. Wuxi Ta Tang Compound (not involved)
  - aa. Shanghai Kining Co. Ltd.
  - bb. Chenguang Fluoro & Silicone Polymer Co.,Ltd.
  - cc. 3M China Limited
  - dd. Arkema (Changshu ) Fluorine Chemical Co., Ltd.
- vii. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- viii. The following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire response:
- a. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd.
  - b. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
  - c. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd
  - d. UNI-Alliance Limited, Hong Kong
  - e. Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd
- ix. Questionnaire was sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti Dumping Rules:
- a. Meen Been Elastomers
  - b. JMF Synthetic
  - c. Polmann India Ltd
  - d. BP Chemicals
  - e. Nishiganda Polymers
  - f. Hind Elastomers
  - g. Jayashree Polymers
  - h. Dalmia Polymers LLP. (DPL);
  - i. Zenith Industrial Rubber
  - j. Techno Ploymer Industries;
  - k. SKF Technologies India Pvt Ltd;
  - l. Nishigandha Polymers Private Limited;
  - m. Shore Auto rubber Exports Pvt, Ltd;
  - n. Merek Life Science Pvt. Ltd;
  - o. Draeger Safety India Private Limited;
  - p. 3m India Limited;

- q. Agilent Technologies India Pvt. Ltd;
  - r. Devashish Polymer Pvt Ltd;
  - s. Hi-Tech Arai Private Limited;
  - t. Perfect Oil seals Industrial Rubber Products;
  - u. Premier seals india Pvt Lt;
  - v. G B Rubber Products;
  - w. Ucal Polymers Industries;
  - x. Ucal Fuel Systems Limited;
  - y. Vikas Elastochem Agencies Pvt.ltd.,
  - z. Devashish Polymers Pvt. Ltd.,
  - aa. Nu-Cork Products (P) Ltd.
  - bb. S.J.Rubber Industries Ltd.
  - cc. M.K. Marketing
  - dd. Zenith Industrial Rubber
  - ee. Products P.Ltd. C-15/16/17,
  - ff. Dombivli Industrial Estate
  - gg. Navarang Naka,Midc,Phase I,
  - hh. Rawat Engg Tech. Pvt. Ltd.
  - ii. Kokoku Intech India
  - jj. BDS Polychem
  - kk. Pionner Rubber & Chemical Co.;
  - ll. Devashish Polymer;
  - mm. K.K. Enterprises;
  - nn. Techno Polymer Industries;
- x. The following importers or consumers of the product have filed the importer's questionnaire response:
- a. Eastcorp International
  - b. Eastern Steel Cooperation
  - c. Nishigandha Polymers Private Ltd
- xi. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Whenever they requested inspection of public file and copies of the documents therefrom were provided with the same.
- xiv. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation has been considered January 2019 to September 2019 (9 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.

- xv. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. Information provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise basis for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 09<sup>th</sup> September 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of facts available.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, a Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present Final Finding was issued to the interested parties on 9<sup>th</sup> October, 2020. The post disclosure statement submissions received from the domestic industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Finding. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in this final finding.
- xxii. \*\*\* In this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs. 71.03.

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **C.1 Views of the Domestic Industry**

9. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
  - i. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period. Therefore, Petitioner refers to and relies upon the previous investigations regarding product under consideration.
  - ii. The product produced by the domestic industry is a like article to the product imported from subject country. The issue of like article has been examined by the Authority in the original investigation as well.

### **C.2 Views of the other interested parties**

10. Other interested parties have submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
  - i. Substitution of grades of FKM possible only if competitor develops a superior quality.
  - ii. Applicant manufactures inferior quality products and since it is a new entrant, it has not developed all grades of FKM.

### C.3 Examination by the Authority

11. The Authority notes that the product under consideration has been comprehensively defined in the Initiation Notification dated February 02, 2020 as under;:

*“The product under consideration (PUC) in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM). Fluoroelastomers (FKM) is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, Fluoroelastomers (FKM) is called as the "Rubber King. It contains not-fully- fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. "Fluoroelastomers” are a family of fluoropolymer rubbers, not a single entity. It can be classified by their fluorine content, 66%, 68%, & 70% respectively. FKMs are broadly categorized in two sets - Copolymer and Terpolymer.*

*There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, electrical connectors, automotive use in shaft seals, fuel injector O-rings, and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders.”*

12. The two main fluoroelastomers categories based on monomers, fluoroine content and curatives, are as follow:

**a) Copolymer fluoroelastomers (F 66%):**

These are prepared out of vinylidene fluoride (VDF) and hexafluoropropylene (HFP). Copolymer FKM can be in two forms i.e. Raw Gum and Pre- Compound. It has a significant temperature, oxidation, oil and chemical resistance and good mechanical properties. With fluorine content of 66%, FKM is one of the best temperature resistance rubbers, and it can be used at 250°C for a long time and at 300oc for short time.

**b) Terpolymer fluoroelastomers (F 67-70%):**

These are prepared using vinylidene fluoride (VDF), tetra-fluoroethane (TFE) and Hexa fluoropropylene i.e HFP or propylene or Perfluoromethylvinylether (PMVE). Terpolymer FKM can be in two forms i.e. Raw Gum and Pre- Compound. It can be cured with curatives i.e Amine, Bisphenol and Peroxide. It has high chemical and long-term heat resistance properties. With fluorine content of 67-70%, Terpolymers FKM has higher acid, ketone and ester resistance than copolymers.

13. The product does not have dedicated classification. The product under consideration is classified under Chapter 39 under customs subheading no 3904 of the Act. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
14. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as in the original and subsequent review investigation. Moreover, none of the interested parties have made any submission requesting modification in the scope of the review.
15. The Authority notes following aspects based on the various submissions.
1. Domestic industry based on the scope of the product range manufactured by them in the period of investigation have provided the following PCNs in the petition.

SN	Name of Product Type	PCN	Description of PCN
1	Copolymer Raw gum	FCP#RG0001	Fluoroelastomers (FKM) Co-Polymer Raw Gum
2	Copolymer Pre-Compound	FCP#PC0004	Fluoroelastomers (FKM) Copolymer Pre-Compound
3	Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum	FTPBRG0005	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum

4	Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum	FTPPRG0003	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum
5	Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum	FTPPRG0002	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum

2. Producer/ Exporters have also filed the Questionnaire response in accordance with the PCNs as mentioned above.

16. Authority in view of the aforesaid proposed PCN, holds that the PUC i.e. Fluoroelastomers includes copolymer and terpolymer both in raw gum and pre-compound form and of different types. Compounds and FFKM are excluded from the scope of PUC. The types (PCN) stated by the DI in their submission have been considered for evaluating Dumping Margin and injury Margin separately for different types (PCN's) of PUC.
17. With regard to the issue of difference in quality, the Authority notes that product cannot be excluded from the scope of the investigation merely on the quality grounds. Further, interested parties have not provided any evidence to demonstrate that these products with alleged quality difference are not competing with each other.
18. The Authority found that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry were treated as like article to the product under consideration imported from subject country.
19. In view of the above, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

#### **D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1 Views of the Domestic Industry**

20. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
- The Application for initiation of Sunset Review investigation has been filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd.
  - Applicant accounts for entire Indian production, since there is no other producer of the subject goods in India.
  - The applicant has not imported the subject goods from the subject country and is not related to any exporter of the subject goods in the subject country and importers in India either directly or indirectly.

##### **D.2 Views of the other interested parties**

21. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the domestic industry and standing.

##### **D.3 Examination by the Authority**

22. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”*



23. The application in the present case has been filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. Applicant is the sole producer of FKM in India. Considering the information on record, the Authority notes that the applicant accounts for entire Indian production, The applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1 Submissions by the domestic industry**

24. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality –

- iv. Applicant has filed the application in accordance with the guidelines and procedure issued by the Designated Authority and wherever any information is claimed as confidential applicant has provided the reasoning.
- v. Costing information is a business proprietary information of the company and is not amenable to summarization therefore claimed as confidential.
- vi. The responding exporters and producers have claimed excessive confidentiality in blatant disregard of the guidelines issued by the Designated Authority, vide trade notice 10/2018 dated 7th September 2018.
- vii. In the present case, most of the responding interested parties have failed to furnish an appropriate and meaningful non-confidential summary.
- viii. The information kept confidential by the interested parties form an essential part of the questionnaire response. Due to lack of such vital information, the domestic industry is unable to offer any comment to protect its interests.
- ix. Excessive and unreasonable confidentiality claims amount to lack of opportunity to an interested party for defending its interests, breaching the principles of natural justice, hampering the investigation process and assisting the Authority in identifying discrepancies or misrepresentations in the responses:
- x. The Authority is requested to disregard these responses and issue the findings accordingly.
- xi. The evidence on likelihood is the market research report which is a third-party information and applicant does not have the authority to disclose.

### **E.2. Submissions by other interested parties**

25. Following submissions have been made by the interested parties with regard to confidentiality-

- i. Non-confidential Version (NCV) of the petition does not allow reasonable understanding of the allegations and it violates Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
- ii. Applicant has claimed Format A to K as confidential and no information in Non-confidential Version (NCV) of the petition.
- iii. Evidences of likelihood are claimed as confidential.
- iv. Information in public domain kept confidential including names of reports and source. Data pertaining to exporters from China PR cannot be kept confidential from them.

### **E.3 Examination by the Authority**

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

(2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

(3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

27. Non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties through the public file as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018.
28. Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties.
29. With regard to the confidentiality of information, the Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions by the domestic industry**

30. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- i. All India Rubber Industries Association should be considered as non-Cooperative.
  - ii. The Association itself has not filed any comments to the petition or any information related to its users within the time limits prescribed by the Authority. The Association made its submissions for the first time during the hearing.
  - iii. Further, none of the members of the Association has filed the response to the prescribed User questionnaire. It clearly shows that the members of the said user Association are not willing to participate in the investigations and provide their data to the Authority.
  - iv. The Authority is requested to reject the incomplete responses filed by the exporters.
  - v. The domestic industry has provided information as prescribed by the Authority.

### **F.2. Submissions by other interested parties**

31. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:
- a) No substantive evidence to prove condition for initiation of sunset review investigation has been furnished and application is short of legal and factual basis.
  - b) There is Lack of meaningful analysis of economic factors and indices listed in Rule 11 & para IV of Annexure II such that indexed data on unit price, total costs, investments, employment and stocks are not explicitly provided or analyzed.
  - c) Information provided by Petitioners is insufficient for initiation under Rule 5(3). Allegations set out in the petition are based on estimates and assumptions. The *WTO Panel Reports in the United States - Softwood Lumber, Guatemala - Cement II, and Mexico - Steel Pipes and Tubes* are relied upon.

### **F.3 Examination by the Authority.**

32. The Authority has noted all the arguments and counterarguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions as under.
33. With regard to the submissions of interested parties regarding adequacy and accuracy of the application and questionnaire responses, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation. As regards questionnaire response, the information contained therein is found sufficient for determination of dumping margin.

34. With regards to submissions on eligibility of All India Rubber Industries Association as an interested party, the Authority has, on the basis of facts and circumstances of the case, and the practice of the Authority, acknowledged and accepted the submissions made by the interested parties.

### **G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

35. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
  - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
  - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin*

#### **G.1. Submissions by the domestic industry**

36. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. The Designated Authority should follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority should reject the claim of individual dumping margin.
- ii. In the present investigation none of the responding producers/ exporters has filed a response to the Market Economy Treatment Questionnaire.
- iii. Except for Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd., none of the responding producers/ exporters has even raised an explicit claim for Market Economy Treatment.
- iv. The Designated Authority is requested to determine the normal value based on prices in the market economy third country for all the responding producers/ exporters.
- v. The domestic industry considers that USA is appropriate third country for determination of normal value.
- vi. The applicant has calculated normal value on the basis of import prices of product under consideration in India from USA.
- vii. Para 7 of Annexure 1 of the AD Rules clearly provides for hierarchy in the options available for determination of normal value.
- viii. Authority cannot construct the normal value before ascertaining that there is no evidence available regarding price or constructed value in the market economy third country or price from that third country to other country including India.
- ix. Applicant refer and rely upon CESTAT decision in the matter of *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co Ltd vs Union of India* wherein tribunal has held that the level of development is not relevant when the import price from the surrogate country to India is considered for normal value determination.

- x. That the fact that the import price of one product is lower than import price of other product does not imply that the import price cannot be treated appropriate, therefore Normal value based on import price from USA being rejected in the previous findings is not relevant.
- xi. Export price is calculated after making various adjustments based on market information and general experience and considering most conservative estimates.
- xii. Dumping margin calculated for the subject country is positive and significant.

## **G.2. Submissions by other interested parties**

37. The submissions made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. NME status of China expired on 11<sup>th</sup> Dec, 2016 and hence no legal basis to use surrogate country methodology to construct normal value.
- ii. Market Economy Status to be granted to China and normal value to be calculated according to Article 2 of ADA.
- iii. Reliance placed on the decision *EC- Fasteners* – wherein it has been held that China automatically obtains market economy status on expiry of Article 15 of Protocol.
- iv. Further, reliance is also placed on US – China bilateral agreement and EU’s Explanatory Memorandum to Council Decision establishing the Community position on China’s accession – China to be treated as NME for 15 years after its accession to WTO
- v. USA is not an appropriate surrogate country for constructing normal value for China PR as USA is a far more developed country than China.
- vi. Consideration of import price from USA for constructed normal value is not appropriate and reasonable.
- vii. The Report of Working Parties on the “Accession of Poland” and “Accession of Romania” which states that method used to construct normal value on the basis of price for a like product originating in another country must be appropriate and not unreasonable.
- viii. The Authority is requested to construct the normal value. The normal value based on USA import price was rejected in the previous case after objections being raised by the opposing interested parties.

## **G.3. Examination by the Authority**

38. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have filed the prescribed questionnaire responses:

- xii. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd.
- xiii. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
- xiv. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd
- xv. UNI-Alliance Limited, Hong Kong
- xvi. Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability ;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

40. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that no producer/exporter from China PR has filed supplementary questionnaire. Accordingly, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules. The normal value and export price for the all the producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

#### **Normal Value determination for All producers/exporters from China PR**

41. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record, regarding, the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “any other reasonable basis”.
42. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses on addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below

#### **Export Price**

#### **Export Price determination for Cooperative Exporters/Producers**

43. The following producers/exporters have filed the prescribed questionnaire responses:

- i. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd.
- ii. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
- iii. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd

- iv. UNI-Alliance Limited, Hong Kong
- v. Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd

**Export price of Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd.**

44. M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd. has exported the subject goods i.e Fluoroelastomers (Copolymer Pre-compound and Terpolymer Bisphenol Curable Pre-Compound,\*\*\* MT & \*\*\* MT respectively) of invoice value \*\*\* US\$ (both with FOB and CIF terms) during POI to India.
- a. Copolymer Pre-compound: After allowing the adjustment on ocean freight, insurance, inland transportation and Bank Charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* \$/MT.
  - b. Terpolymer Bisphenol Curable Pre-Compound: After allowing the adjustment on ocean freight, insurance, inland transportation and Bank Charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* \$/MT.

**Export price of Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd., (producer/exporter) China PR and Uni-Alliance Limited (Trader) Hong Kong**

45. M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. has exported the subject goods i.e Fluoroelastomers to an extent of \*\*\* MT of Fluoroelastomers during POI to India through 2 channels i.e. M/s Mitsubishi (\*\*\* MT) and M/s Uni alliance (\*\*\* MT). M/s Mitsubishi has not filed the Exporter Questionnaire Response. The exports by M/s Uni-Alliance includes \*\*\* MT of Fluoroelastomers (Terpolymer Bisphenol Full-Compound) which is not part of PUC and the same is proposed to be excluded. Therefore the PUC to an extent of \*\*\* MT of 3 grades i.e. Copolymer Pre-Compound, Copolymer Raw Gum, Terpolymer Bisphenol Pre-Compound have been exported by M/s Uni Alliance to totalling of \*\*\* MT, \*\*\* MT, \*\*\* MT at a total invoice value of \*\*\* US\$, \*\*\* US\$, \*\*\* US\$ respectively (both with FOB and CIF terms).
- a. Copolymer Pre-Compound: After allowing the adjustment on ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$ \$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* US\$/MT.
  - b. Copolymer Raw Gum: After allowing the adjustment on ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* US\$/MT.
  - c. Terpolymer Bisphenol Pre-Compound: After allowing the adjustment on ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* US\$/MT.

**Export price of Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.**

46. M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd. has exported the subject goods i.e Fluoroelastomers (Copolymer -Raw Gum and Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum, \*\*\* MT & \*\*\* MT respectively) \*\*\* MT of invoice value \*\*\* US\$ during POI to India.
- a. Copolymer -Raw Gum: After allowing the adjustment on inland transportation, port and other related expenses, ocean freight, insurance, bank charges and credit cost, the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* US\$/MT.
  - b. Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum, after allowing the adjustment on inland transportation, port and other related expenses, ocean freight, insurance and bank charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* US\$/MT.

**Export Price of Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co/ Ltd**

47. Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co/ Ltd has exported the subject goods i.e Fluoroelastomers (Copolymer Pre-Compound, Copolymer Raw Gum, \*\*\* MT & \*\*\* MT respectively) \*\*\* MT, of invoice value \*\*\* US\$ in FOB terms during POI to India.
- Copolymer Raw Gum: After allowing the adjustment on inland transportation & port handling charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* US\$/MT.
  - Copolymer Pre-Compound: After allowing the adjustment on inland transportation & port handling charges, the Ex-factory export price comes to \*\*\* US\$/MT. The landed value after applying all applicable duties comes to &\*\*\* US\$/MT.

**Determination of Export Price in respect of Non-Cooperative Exporters/Producers**

48. For the producer/exporter of the subject goods who have not filed response; the Authority has determined the export price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of "any other producer/exporter" from China.

**Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject country**

49. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for cooperative producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined as below. For non-cooperative/residual category, the Authority has considered the highest dumping margin amongst the cooperating producers/exporters. It is seen that the dumping margin is significant. Thus, dumping of the product has continued in the present period.

Producer/Exporter	Dumping Margin in US\$/Kg	Dumping Margin %	Dumping Margin Range -%
M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co.,Ltd.	***	***	20-40
M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.	***	***	0-20
M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd Through M/s AUL	***	***	0-20
Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co/ Ltd	***	***	60-80
Any other producer/exporter	***	***	60-80

**H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1 Submissions by the domestic industry**

50. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced herein below:
- The domestic industry has suffered continued injury despite Anti-dumping duty in existence.
  - In the instant case, the Anti-dumping duty was only in existence during period of investigation and not during previous years of injury period.
  - The parameters will show improvement in the period of investigation as compared to previous years. However, the domestic industry is still at a vulnerable stage despite Anti-dumping duty in existence due to continued presence of dumped imports.
  - Demand of the subject goods increased till 2017-18 and declined in the POI. The same is attributed to a temporary decline in demand in the auto industry.

- v. Subject imports increased till 2017-18 and thereafter declined in the POI. The same is attributed to the imposition of the ADD. Chinese imports constitute 41% of total imports of the PUC, \*\*% of demand and \*\*% of production.
- vi. On a month by month analysis of import and domestic prices, it would be seen that the price undercutting was earlier negative and became positive towards the end of the investigation period.
- vii. The domestic industry is unable to increase its selling price with increase in raw material prices due to the dumped imports. The domestic industry is suffering losses.
- viii. The dumped imports have resulted in significant price underselling.
- ix. Production, sales and capacity utilization increased till 2018-19 and declined thereafter in the POI.
- x. Inventories increased till Dec, 2018. The domestic industry reduced production thereafter to contain the inventory levels. The domestic industry is holding significant inventories in stock.
- xi. The Domestic Industry has remained in losses throughout the injury period due to the presence of the dumped imports in the market. All parameters including Profit/Loss, Cash Flow and ROCE have remained negative throughout the injury period.
- xii. The Domestic Industry has a low market share of \*\*% in the Period of Investigation, despite having significantly unutilized capacities.
- xiii. The domestic industry is capable of meeting the entire demand of the product under consideration being catered by Chinese producers.
- xiv. Applicant is still suffering from unutilized capacities, which had to be diverted to exports. However, the injury information provided to the Authority is provided separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.
- xv. The argument of the opposing interested parties regarding imports of co-polymer pre-compound declining to nil is factually incorrect.
- xvi. Reliance placed on Digital Printing plates case, is not relevant as it was a no continued injury case whereas in the present case the domestic industry situation continued to be fragile and is suffering continued losses.
- xvii. There are number of cases where the Authority has continued duties in a situation when there are zero imports from the subject country and no injury to the domestic industry.
- xviii. The losses of domestic industry have declined during period of investigation in the present investigation due to Anti-dumping duty in existence.
- xix. The Authority has a practice to allow 22% return in all situations and, therefore, principles of equity demand that the same is applied to all situations.
- xx. Once it has been established that cessation of duties is likely to cause continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, there is no requirement to establish the existence of a causal link between the likely dumping and likely injury.
- xxi. Chinese producers are continuing to sell the product at lower prices. This is despite third country imports occurring at much better prices. There is significant difference between the prices offered by the rest of the world and the Chinese producers. Resultantly, the domestic industry is not able to get a reasonable price.
- xxii. Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices, it is not able to increase its sales.
- xxiii. Imports from subject country are underselling the prices of the domestic industry. Such being the case, considering that the producers in the subject country have surplus capacities, in the event of cessation of anti-dumping duty, the volume of dumped imports would surge significantly.
- xxiv. In case duty is ceased and consequently imports from the subject country increase, the Domestic Industry would be forced to further reduce the prices of the product concerned significantly.



- xxv. The domestic industry is faced with significant increase in inventories, despite exports undertaken, which clearly shows vulnerability of the domestic industry. Cessation of ADD in such circumstances will aggravate the position of the domestic industry.

## H.2 Submissions by other interested parties

51. The submissions of the interested parties with regard to injury and causal link are reproduced herein below:

- i. There is no volume injury as demand in India and imports from subject country have declined.
- ii. Sales of domestic industry has increased.
- iii. Imports from China are demand oriented. Import volume of co-polymer pre-compound declined from 63.03 MT in Jan 19 to 2.40 MT in Aug 19.
- iv. Imports in July 19 and Sept 19 are NIL.
- v. Market share of imports has declined and that of Domestic Industry has increased. Production and capacity utilization have also increased.
- vi. Price undercutting in original and present investigation is negative for all types of FKM except Terpolymer Raw Gum.
- vii. Injury to Domestic Industry is due to undue capacity enhancements.
- viii. Domestic Industry losses declined from 100 to 61 during POI and even the Productivity has increased.
- ix. NIP is inflated. 22% ROCE is not to be adopted as debt portion of capital employed is provided as 22% which results in providing more than 22% return on Net worth portion of capital employed and such high return to Domestic Industry not be allowed during global recession.
- x. Authority to consider reasonable return based on return earned by Domestic Industry when there was no allegation of dumping to arrive at NIP. Ref: *Bridgestone Tyre Manufacturing & Others v. Designated Authority, Hyosung Corporation v. Designated Authority, European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) v. Council.*

## H.3 Examination by the Authority

52. Rule 11 read with Annexure II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
53. Rule 11 read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles .... ". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
54. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under:

*"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. "*

55. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has taken note of the various submissions made by domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.
56. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or not.
57. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension. In the present case, it is found that the volume of import from each of the subject countries is not insignificant and the dumping of the product has continued during the relevant period.
58. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

**a. Assessment of Demand and Market Share**

59. For this purpose, demand or apparent consumption of the product in India is taken as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The Authority has considered import data obtained from DGCI&S. Share of imports from the subject country in demand/consumption in India determined by the Authority is as under.

Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Jan-Sep'19
Sales of Domestic industry	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>174</i>	<i>289</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
Sales of other Indian Producers	MT	-	-	-	-	-
China (Subject Country)	MT	352	539	395	238	178
Imports - Other Country	MT	424	412	363	390	292
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>129</i>	<i>121</i>	<i>99</i>	<i>99</i>

60. The Authority notes that the demand of the subject goods has increased in 2017-18 and declined thereafter in 2018-19 and further in period of investigation.

**Volume Effect of the dumped imports on the Domestic industry**

**i. Import Volume and Market share of subject country**

61. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under :-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Jan-Sep'19
Imports Volume						
Subject Country	MT	352	539	395	238	178
Others	MT	424	412	363	390	292
Total	MT	777	952	758	628	471
Imports from subject country in relation to						
Total Imports	%	45.35	56.67	52.15	37.89	37.89
Indian Production	%	***	***	***	***	***
Indian consumption	%	***	***	***	***	***

62. The Authority notes that the original Anti-dumping investigation was initiated in 2<sup>nd</sup> Jan 2018 and Anti-dumping duty was imposed on subject country on 28th January 2019 which is during period of investigation. Consequently, the imports from subject country have declined during the period of investigation in absolute terms and in relation to production and consumption.

**Price Effect of dumped imports and impact on the domestic industry**

63. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization and non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

**i. Price undercutting**

64. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the Authority has undertaken comparison between the landed price of the product and the average selling price of the domestic industry. The landed price of imports, domestic prices and margin of undercutting are shown as per the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price of imports	Rs./Kg	993	1000	1061	983
Net Selling realization	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	Negative	Negative	Negative	1-20

65. It is noted that imports of the price under cutting is negative throughout the injury period However, it is marginally positive during POI.

**ii. Price Suppression or depression**

66. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period, when ADD was in force.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	91	83	91
Selling Price	₹/ Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	102	100	112
Landed Price	₹/ Kg	993	1000	1061	983
	<i>Indexed</i>	100	101	107	99

67. It is seen that the landed price of imports is lower than the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period. Consequently, the domestic industry is unable to increase its selling price to the extent of costs. The imports from subject country is suppressing the prices of the domestic industry.

iii. **Price underselling**

68. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

Particulars - POI	Unit	Total (All Types of FKM)	Copolymer Pre-Compound	Copolymer Raw Gum	Terpolymer Bisphenol Cured Precompound	Unidentified Types
Import Volume	MT	178	101	24	5	48
Non-Injurious Price	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Landed Value	Rs./Kg	983	1,042	670	1277	983
Injury Margin	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Injury Margin	US\$/Kg	***	***	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***	***	***
Injury Margin	% Range	40-60	20-40	40-60	20-40	40-60

69. From a comparison of the landed price with the non-injurious price, it is noted that the dumped imports have resulted in significant price underselling/injury margin during the period of investigation.

**IMPACT ON ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY**

70. Annexure – II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. **Capacity, Production Capacity Utilization and Sales**

71. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Jan-Sep'19	Annualised
Capacity - Raw Gum	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	138	242	273	273
Production - Raw Gum	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	199	501	390	390
Capacity Utilization - Raw Gum	%	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	145	207	143	143
Production of Pre-Compound	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	154	497	398	398
Captive Raw Gum used for pre compound	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	181	605	503	503
Net Production Quantity for Sales	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	180	431	322	322
Sales (Domestic)	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	174	289	230	230

72. It is noted from the above table that the capacity with the domestic industry has increased over the injury period. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased till 2018-19 but declined thereafter in the POI.

**b. Market Share of Domestic Industry in Demand**

73. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below: –

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry (Applicant)	%	***	***	***	***
Import from Subject Country	Range %	20-40	40-60	20-40	20-40
Import from Other Country	Range %	40-60	20-40	20-40	40-60
Total Demand Share	%	100.00	100.00	100.00	100.00

74. It is noted that the market share of the domestic industry has increased till 2018-19 thereafter marginally declined in POI as compared to 2018-19.

**c. Inventories**

75. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Stock (Volume)	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	187	322	363

76. The Authority notes that the average inventory level of the domestic industry has shown an increasing trend.

d. **Profit or loss, cash profits and return on investment**

77. Profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Jan-Sep'19	Annualised
Profit/(Loss) per unit	₹/Kg	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	-100	-65	-46	-44	-44
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	-100	-113	-133	-102	-102
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	-100	-91	-125	-95	-95
PBIT per unit	₹/Kg	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	-100	-63	-44	-40	-40
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	-100	-109	-127	-92	-92
Return on Capital Employed-	%	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	-100	-108	-143	-205	-205

78. It is noted from the above that the Domestic Industry has remained in losses throughout the injury period. Profit/Loss, PBIT, Cash Flow and ROCE have remained negative throughout the injury period.

e. **Employment, wages and productivity**

79. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was as below –

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Jan-Sep'19	Annualised
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	120	120	120	120
Productivity per day	MT	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	180	431	322	322
Productivity per Employee	MT/Nos.	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	150	357	267	267
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	158	181	163	163

80. It is seen that the employment levels of the Domestic Industry have remained constant since 2017-18. The wages paid and productivity has increased over the injury period. The domestic industry has, however, submitted that these parameters are not relevant to show the impact of dumping on the domestic industry.

f. **Growth**

81. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below –

Growth Compared to Previous Year	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
					Actual
Production	Indexed	-	80	139	-25
Domestic Sales Volume	Indexed	-	74	66	-21
Profit/Loss domestic	Indexed	-	-35	-29	-4
Average stock	Indexed	-	87	72	13

82. It is noted that the domestic industry has witnessed a negative growth in the POI.

**g. Level of Dumping and Margin of Dumping**

83. It is found that the margin of dumping is positive from the subject country. The Authority holds that there is continued dumping of subject goods from the subject country.

**h. Factors affecting Prices**

84. The import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. It is noted that the landed prices of subject imports is undercutting and underselling the prices of the domestic industry during POI. The imports from subject country are leading to significant decline in profitability and financial losses during period of investigation. Thus, Authority holds that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject country.

**i. Ability to raise capital investments**

85. The domestic industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The domestic industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone. However, investment decisions are based on individual product performances.

**j. Magnitude of Injury and Injury Margin**

86. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry when compared with the landed value of the exports from the subject country shows positive and significant injury margin during POI.

Producer/Exporter	Injury Margin in US\$/Kg	Injury Margin %	Injury Margin Range -%
M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co.,Ltd.	***	***	20-40
M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.	***	***	0-20
M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd Through M/s AUL	***	***	0-20
Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co/ Ltd	***	***	60-80
Any other producer/exporter	***	***	60-80

87. For residual category, the Authority has considered the highest Injury margin evaluated amongst the cooperating producers/exporters, considering lowest landed value and NIP of an appropriate PCN for this purpose.

**Causal Link**

88. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused injury to the domestic industry. It was examined whether the following other factors listed under the AD Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

**a. Volume and price of imports from third country:**

89. The Authority notes that the imports of the product under consideration from third countries in the POI is at high price.

**b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption**

90. The demand of the subject goods has declined. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry

**d. Export performance**

91. Applicants have exported the subject goods. However, they have not claimed injury in the domestic operations. Applicants have provided costing and injury information for domestic sales separately. Hence, injury to domestic sales cannot be attributed to exports.

**e. Development of Technology:**

92. None of the interested parties have raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

**e. Performance of other products of the company.**

93. The Authority notes that no submission has been made by any of the interested parties to the effect that the performance of other products being produced and sold by the applicants is a possible cause of injury to the domestic industry.

**f. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers:**

94. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

**h. Productivity of the domestic industry**

95. The Authority notes that no submissions have been made by either the domestic industry or any of the interested parties regarding the injury to the domestic industry on account of productivity of the domestic industry.

**I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY**

96. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

**I.1. Submissions by the domestic industry**

97. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury –

- i. Producers in subject country maintain huge capacities to the extent of 16,950MT. These capacities do not include major producers like Chenguang/ Chemours, Solvay Changshu, Daikin Changshu, 3F Changshu, 3F Inner Mongolia and Fluorine.
- ii. The Chinese exporters/producers have a highly unutilized capacities for the product under consideration of about 11.02 KT (almost 65% of the capacity with the Chinese producers is unutilized.)
- iii. The Chinese exporters have expanded their respective production capacities in recent years by about 5600 MT.
- iv. These capacity expansions have taken place despite the decline in growth rates in the Chinese markets, which signifies the export-oriented outlook the Chinese producers have.
- v. The total demand for the subject goods in China is roughly 10,800 MT. However, the known capacities of Chinese producers are well beyond the demand of the subject goods in China.
- vi. This leads to oversupply of the goods in China, whereby the capacity is way beyond the demand. The excess capacities with China are around 6150MT.



- vii. China constitutes 31% of the total world capacities of product under consideration.
- viii. Demand for the subject goods has either declined globally or is stagnating. This trend of decline in demand can also be observed in the subject country.
- ix. The stagnation is due to the recent shift in the automobiles sector from vehicles run by fuels to electrical vehicles, and the overall decline in the Automobile sector. On the contrary, India has seen an appreciable increase in Demand over the Injury period.
- x. This shift in the user industry pattern has led to a decline in demand globally, and therefore major markets of the subject country are closing, which increases the likelihood of the exports from the subject country to India.
- xi. Likelihood of dumping can also be ascertained based on the fact that exports from subject country have declined after imposition of the anti-dumping duty.
- xii. Globally, there are surplus capacities with the producers insofar as the subject goods are concerned of about 26,290MT. Therefore, the exporters are continuously in search of surplus markets where they can dispose off their capacities.
- xiii. Producer wise dumping margin shows the likelihood of dumping in the event of cessation of Anti-dumping duty.
- xiv. Exporters/ producers in China have freely disposable capacity of 6730MT which can easily cater to entire demand in India.
- xv. Exporters from the China are not only dumping in India, but they are also dumping in other countries.
- xvi. The evidences show that the product under consideration is being circumvented through Thailand and Taiwan. This clearly shows that in the event of cessation of Anti-dumping duty, the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices.
- xvii. Market intelligence shows that the importers are evading the Anti-dumping duty by way of mis declaration. This further establishes likelihood of dumping and injury.
- xviii. As regards reference to Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR, it is submitted that the facts of the instant case is different from the case referred. In the Digital Printing plates case, there was no continued injury whereas in the present case the domestic industry situation continued to be fragile and is suffering continued losses.

## I.2. Submissions by other interested parties

98. Applicant's claims of excess production capacities with foreign producers, unutilized capacities of Chinese exporters, significant capacity expansions and overcapacity in Chinese market are baseless submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:

## I.3. Examination by the Authority

99. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose.
100. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

### a. Continued Imports of appreciable quantum in presence of Anti-Dumping Duty

101. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	Annualized	POI Jan-Sep'19
<b>Import Volume</b>						
Imports from China	MT	352	539	395	259	178

102. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration have increased till 2017-18 but declined in 2018-19 and POI.

**b. Production Capacity held by producers in subject Countries**

Company	Capacity (Kg)	
	Pervious Accounting Year	Jan-Sep 2019
Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.	***	***
M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co.,Ltd.	***	***
M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co.	***	***
Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd.	***	***

**c. Freely disposable Capacities with the foreign producers**

103. The Authority notes that production, domestic sales, export sales and capacity utilization of a number of Chinese producers for accounting year of 2018 and POI Jan-Sep 2019 are as follows.

Accounting year of 2018	Installed/ Rated Capacity (Quantity) (Kg)	Production (Quantity) (Kg)	Capacity Utilisation (%)	Total Sales (Quantity) (Kg)	Domestic Sales (Quantity) (Kg)	Sales to India (Quantity) (Kg)
M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co.,Ltd.	***	***	***	***	***	***
Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd	***	***	***	***	***	***
M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co.	***	***	***	***	***	***
Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd	***	***	***	***	***	***
POI Jan-September 2019	Installed/ Rated Capacity (Quantity) (Kg)	Production (Quantity) (Kg)	Capacity Utilisation (%)	Total Sales (Quantity) (Kg)	Domestic Sales (Quantity) (Kg)	Sales to India (Quantity) (Kg)
M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co.,Ltd.	***	***	***	***	***	***
Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd	***	***	***	***	***	***
M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co.	***	***	***	***	***	***
Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd	***	***	***	***	***	***

104. It is seen that producers have significant unutilised capacities with them.

d. **Level of current and past dumping margin**

105. The level of dumping margin in the original, as well as present investigation is significant.

**J. POST DISCLOSURE COMMENTS**

**J.1 Submissions made by the domestic industry**

106. The submissions made by the domestic industry are as follows

- i. All India Rubber Industries Association (AIRIA) should be considered as a non-cooperative party. No NCV of the submissions filed on behalf of the AIRIA was circulated to the domestic industry.
- ii. The law on construction of normal value, i.e. Rule 7 of Annexure I, presents an internal hierarchy where a preference is given to the first two methodologies. Only in cases where they are proven to be not feasible, the third methodology is adopted thereafter.
- iii. The normal value can be determined based on import price from USA. The CNV can be adopted only after ascertaining that there is no evidence available regarding price or constructed value in a market economy third country or price from such third country to other country, including India
- iv. Since M/s Mitsubishi has not filed the exporter questionnaire response, the export price of M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd through M/s Mitsubishi is required to be based on facts available i.e. lowest export price
- v. There is continued dumping of subject goods from the subject country.
- vi. The domestic industry has suffered continued injury due to dumped imports
- vii. There is definitive likelihood that the domestic industry shall continue to suffer injury in case existing anti-dumping duty ceases and therefore the anti-dumping duty is required to be continued
- viii. Anti-dumping duty may be imposed as a fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in US\$/kg.
- ix. The domestic industry requests enhancement and extension of the anti-dumping duty, the domestic industry submits that the duty should be imposed in terms of US\$.

**J.2 Submissions made by other interested parties**

107. None of the exporters/other interested parties have filed comments on disclosure statement

**J.3 Examination by the Authority**

108. Post- disclosure submissions have been received only from domestic industry. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined as below.

- i. As regards exports by M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd through M/s Mitsubishi, the Authority notes that export of M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd through M/s Mitsubishi constitute less than 10% of the total exports of M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. Therefore, the Authority has accepted the questionnaire response filed by the Company. Further, the dumping margin has been determined based on information available. As regards non-cooperation for one of the exporter concerned, dumping margin in such exports has been determined based on fact available.
- ii. The Authority has considered the submissions made by AIRIA for the purpose of present determination.

**K. CONCLUSION ON LIKELIHOOD OF DUMPING AND INJURY**

109. The evidences on record show that even though imports have declined from the subject country, dumping of the subject goods from China PR continues and imports of subject goods are being made at dumped prices and prices below the non-injurious price. The information on record also shows the landed prices of subject imports is undercutting and underselling the prices of the domestic industry during POI. The imports from subject country have led to significant decline in profitability and financial losses during period of investigation. Thus, all these parameters indicate that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject country are likely to intensify export of dumped product in India at dumped prices, leading to intensified injury to the Domestic Industry.

**L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**

110. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
111. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

**M. CONCLUSION**

112. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. There is continued dumping of the subject goods from subject country along and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
  - b. There is a continued injury to the domestic industry despite anti-dumping duty in existence.
  - c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
  - d. There is sufficient evidence to indicate that the cessation of ADD at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

**N. RECOMMENDATIONS**

113. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
114. Having concluded that there is likelihood of continuation of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject country.
115. The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below for the period of five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods mentioned at Column 3 of the duty table below, originating in or exported from the subject country.

**DUTY TABLE**

S. No	Heading/Sub Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39045090, 39046990, 39049000, 39046910	Fluoro elastomers (FKM) *note below	China PR	Any country including China PR	M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co.,Ltd.	3.85	Kg	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.	1.30	Kg	US\$
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd Through M/s AUL	1.04	Kg	US\$
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co/ Ltd	6.84	Kg	US\$
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than mentioned in S.No. 1 to 4 above	8.86	Kg	US\$
6	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	8.86	KG	US\$

\* The scope of the product under consideration is *Fluoroelastomers, including* Copolymer fluoroelastomers, Terpolymer fluoroelastomers, Copolymer Raw gum, Copolymer Pre-Compound, Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum, Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum and Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum. However, FKM compound and Perfluoroelastomer (FFKM) are excluded from the scope of the subject goods.

\*\*\*Note - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

116. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority